VISION

An Archive to Spark Your Imagination

ARYA KANYA DEGREE COLLEGE

Affiliated to CCS University, Meerut

प्रविवरण
PROSPECTUS
2025-26

SWARAG ASHRAM ROAD,
HAPUR-245 101
Phone : 0122-2313567

महर्षि दयानन्द सरस्वती

अनुक्रमणिका

- महाविद्यालय का संक्षिप्त परिचय
- प्राचार्या का संदेश
- महाविद्यालय की प्रबन्ध-समिति के पदाधिकारी गण
- महाविद्यालय की वार्षिक शैक्षणिक तालिका
- महाविद्यालय में अध्यापन हेतु उपलब्ध पाठ्यक्रम
- विभागीय-विवरण
- महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं
- महाविद्यालय में इग्नू अध्ययन केन्द्र एवं उसमें संचालित पाठ्यक्रम
- स्नातक एवं परास्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या
- प्रवेश-समितियाँ
- महाविद्यालय के प्रकोष्ठ
- विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश-नियम
- महाविद्यालय के अन्य महत्वपूर्ण नियम
- सामान्य जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छात्रवृत्ति के नियम
- यूनिफॉर्म
- महाविद्यालय में देय-शुल्क की संरचना
- शिक्षेणत्तर कर्मचारी-विवरण
- छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण-पदक का विवरण
- महाविद्यालय प्रबन्ध समिति एवं आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ का विवरण
- समाचार पत्रों में महाविद्यालय की उपलब्धियां
- महाविद्यालय में प्रवेश एवं छात्रवृत्ति हेतु फॉर्म

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय

akpgcollegehapur@gmail.com
Arya Kanya Post Graduate College, Hapur
www.akpgcollege.org

हापुड़ (उ० प्र०)

दूरभाष : प्राचार्या कार्यालय 0122 2300069
कार्यालय अधीक्षक 2313564
+91-7895102255

VISION OF THE COLLEGE

"To Emancipate Women through Dissemination of Knowledge and Wisdom."

संक्षिप्त परिचय

आज से लगभग छः दशक पूर्व बालिकाओं के सर्वांगीण विकास एवं उन्नत शिक्षा के अवसर को देखते हुए हापुड़ शहर के गणमान्य एवं प्रबुद्ध नागरिकों ने कन्या महाविद्यालय की आवश्यकता को अनुभव किया था। उसी कल्पना को मूर्त रूप देने हेतु नगर के विशिष्ट एवं प्रबुद्ध नागरिकों के सहयोग से प्रारूप तैयार कर सन् 1959 जुलाई माह में इस महाविद्यालय की स्थापना हुई जहाँ छात्राओं को स्वस्थ एवं सुरक्षित वातावरण में अध्ययन का अवसर प्रदान करने की योजना का विस्तार हुआ। वर्षों पहले जिस शिक्षा के मंदिर का अंकुरण हापुड़ शहर के प्रांगण में हुआ था आज वह प्रबंध-समिति, प्रशासन द्वारा नियुक्त प्राचार्यों, प्राध्यापिकाओं एवं महाविद्यालय के समस्त कर्मचारीगणों के सहयोग से वट वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो चुका है।

कला-संकाय के शिक्षण से आरंभ हुई संस्था में संप्रति कॉमर्स विषय में भी पठन-पाठन की व्यवस्था है। छात्राओं के समुचित विकास हेतु महाविद्यालय में एक समृद्ध पुस्तकालय है। बाह्य एवं आंतरिक खेलकूद की सुविधा के साथ छात्राओं द्वारा साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद् के तत्वावधान में विभिन्न शिक्षणेत्तर गतिविधियों में भी महाविद्यालय द्वारा सहभागिता के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

महाविद्यालय में कई दशकों से चलाई जा रही राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत छात्राओं में श्रम, सहयोग, सामुदायिकता की भावना, उच्च नैतिक गुणों तथा राष्ट्रप्रेम को विकसित करने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है।

उच्च शिक्षा में सतत् भागीदारी करती छात्राओं की मांग को देखते हुए वर्ष 1986-87 में संस्कृत एवं अंग्रेजी विभाग में स्नातकोत्तर (एम. ए.) की कक्षाएं प्रारंभ हुईं। सन् 2000- 2001 से अर्थशास्त्र एवं शिक्षा शास्त्र में भी स्ववित्तपोषित योजना के अंतर्गत स्नातकोत्तर कक्षाएं प्रारंभ हुई। वर्ष 1995-1996 से स्नातक स्तर पर चित्रकला विषय की भी कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

विगत वर्षों में कौशल विकास के अंतर्गत विभिन्न विषयों से संबंधित कक्षाएं महाविद्यालय द्वारा संचालित की जाती रही हैं। संप्रति महाविद्यालय में योग की कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है। पिछले आठ वर्षों से विभिन्न विषयों के अध्ययन हेतु महाविद्यालय में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का एक अध्ययन-केंद्र भी क्रियान्वित है।

महाविद्यालय को संस्कृत एवं अंग्रेजी विषय में शोधकेंद्र की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त है। इसके अतिरिक्त इतिहास व गृह विज्ञान विषयों में भी शिक्षिकाओं द्वारा शोध कार्य कराया जा रहा है। **कठोपनिषद् से उद्धृत संस्था का आदर्श वाक्य है-**

''उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान्निबोधत''

(उठो, जागो और श्रेष्ठ ज्ञानीजनों के सान्निध्य में ज्ञान प्राप्त करो)

यह वाक्य निश्चित रूप से संस्था की सार्थकता को प्रतिबिंबित करता है।

प्राचार्या का संदेश

शिक्षा ज्ञानवर्धन का साधन, सांस्कृतिक जीवन का माध्यम, चरित्र के निर्माता और जीवनोपार्जन का द्वार है। शिक्षा अपनी क्षमताओं का पूर्ण उपयोग करते हुए जीवन जीने की कला के साथ-साथ व्यक्तित्व के विकास की पथ-प्रदर्शक भी है। शिक्षा छात्र-जीवन में सर्वांगीण विकास हेतु संस्कार और सुरुचि के अंकुर उत्पन्न कर व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा महाविद्यालय शिक्षा के उक्त उद्देश्य का पालन करने को प्रतिबद्ध है। महाविद्यालय की सुयोग्य कर्मठ, अनुभवी, विदुषी प्राध्यापिकाएं पूर्ण निष्ठा के साथ बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु सदैव तत्पर रहती हैं। वे केवल ज्ञान दान ही नहीं करतीं बल्कि छात्राओं के शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक और जीविकोपार्जन की शिक्षा के विकास में भी उनका मार्गदर्शन करती हैं। इस महाविद्यालय का प्रत्येक सदस्य ईमानदारी और दृढ़ता के साथ महाविद्यालय के विकास हेतु प्रयत्नशील है।

शिक्षण कार्य के साथ-साथ शिक्षक इतर गतिविधियों सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथि व्याख्यान, सेमिनार, कार्यशाला, युवा महोत्सव, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन भी महाविद्यालय में किया जाता है। अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिताएं भी समय-समय पर आयोजित कराई जाती हैं। महाविद्यालय में स्नातक तथा पर स्नातकोत्तर स्तर पर सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है। नव पीढ़ी में अपनी संस्कृति और जीवन मूल्यों के विकास हेतु महाविद्यालय में मासिक वैदिक यज्ञ भी कराया जाता है। प्रबंध समिति, प्राचार्या, विदुषी प्राध्यापिकाएं शिक्षणेतर कर्मचारी तथा अभाव पर की पूर्ण समर्पण तथा सहयोग से महाविद्यालय विकास की ओर अग्रसर है। महाविद्यालय में नव प्रवेशित सभी छात्राओं को हार्दिक शुभकामनाएं तथा शुभाशीष।

प्रो. साधना तोमर डी.लिट.
प्राचार्या

महाविद्यालय के गौरव

गुंजन (84.46%)
(M.A IInd Year, Sanskrit)

सिमरन (69.9%)
(M.A IInd Year, English)

विशाखा वर्मा (70%)
(M.A IInd Year, Economics)

श्वेता यादव (69.85%)
(M.A IInd Year, Education)

हुमैरा (Best Student)
(B.A +M.A, English)

कु0 सुहानी (सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी)
(B.A IInd Year, Phy.Education)

दीप्ति चौधरी (78.85%)
(B.A IIIrd Year, Sanskrit)

अरूणिमा यादव (76.91%)
(B.A IInd Year, English)

कनिका तोमर (76%)
(B.A IIIrd Year, Comm.)

सारिया बानो (73%)
(B.A IIIrd Year, History)

आरती सागर (68.50%)
(B.A IIIrd Year, Hindi)

भूमिका शर्मा (75%)
(B.A IIIrd Year, Pol.Science)

कु0 मुस्कान वर्मा (87.71%)
(B.A IIIrd Year, Music)

महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति के पदाधिकारीगण

Mr. Narendra Kumar Arya
(President)

Mr. Piyush Bansal
(Vice President)

Mr. Anil Kumar
(Secretary)

Mr. Ravindra Kumar
(Joint Secretary)

Mr. Anand Prakash Arya
(General Scretary)

JULY- 2025	
	7th College Re-opens (As per Schedule of University after summer vacation)
	Admission/ Renewal of U.G. & P.G. (Admission as per University Schedule).
	Staff Council Meeting with Principal
	Havan (Yagya)
	Time Table Release
	Teaching Starts for 3rd and 5th Semester
	Disciplinary Committee constituted
AUGUST- 2025	
	Orientation Programme for New Students
	15th Independence Day Celebration
	Formal Meeting of HoDs with Principal
	Teaching Starts for 1st Semester (as per University guideline)
	Literary and Cultural Committee meeeting
	First Quarterly Meeting of IQAC
	NEP 2020 Committee Meeting
SEPTEMBER- 2025	
	Literary and Cultural Committee Meeting
	5th Teacher's Day Celebration
	14th Hindi Diwas Celebration
	Student Welfare Committee Meeting
	Guest Lecture in Different Department
OCTOBER- 2025	
	2nd Mahatma Gandhi Jayanti Celebration

OCTOBER-2025	Literary and Cultural Committee Meeting
	Scholarship Committee Meeting
	Guest Lecture in Different Department
	Proctorial Board Meeting
	Student Grievance Cell and Posh Meeting
	Different Committee's Meeting
NOVEMBER-2025	
	PTM & Career Counseling
	Literary and Cultural Committee Meeting
	Student Welfare Meeting
	Student Grievance Cell
	Proctorial Board Meeting
	1st Internal Exams first and 3rd Semester PG
	Internal Exams-1st, 3rd & 5th Semester UG
	2nd Quarterly Meeting of IQAC
	Feedback by the Students in Feedback Performa
	Examination Committee Meeting
DECEMBER-2025	
	Scholarship Committee Meeting
	Student Welfare Committee Meeting
	9th Human Rights Day
	Literary and Cultural Committee Meeting
	2nd Internal Exams - 1st & 3rd Sem. PG
	23rd Ch. Charan Singh Jayanti Celebration
	Winter Break as per University Schedule

JANUARY-2026	
	1st & 3rd Sem. Practical Exams (as per University Schedule)
	Guest Lecture in Different Departments
	Literary and Cultural Committee Meeting
	Scholarship Committee Meeting
	10th World Hindi Diwas Celebration
	12th Vivekanand Jayanti - Youth Day Celebration
	Teaching Start for 2nd, 4th and 6th Semester
	26th Republic Day Celebration
	Student Welfare Committee Meeting
	NEP 2020 Committee Meetings
FEBRUARY-2026	
	3rd Quarterly Meeting IQAC
	1st Internal Exam 2nd and 4th Semester PG
	Scholarship Committee Meeting
	Guest Lecture in Various Department
	Different Committees Meeting
	Scheduled SGC and Posh Committee Meeting
	21st Matribhasha Divas Celebration
	Examination Committee Meeting
MARCH-2026	
	Scholarship Committee Meeting
	2nd Internal Exams 2nd and 4th Semester PG
	Literary and Cultural Committee Meeting
	Guest Lecture in Different Departments
	8th Women's Day Celebration

MARCH-2026	
	Internal Exams 2nd, 4th and 6th Semester UG
	23rd Shahid Divas Celebration
APRIL-2026	
	4th Quarterly Meeting of IQAC
	Examination Committee Meeting
	Scholarship Committee Meeting
	Guest Lectue in Various Department
	Literary and Cultural Committee Meeting
	SGC and Posh Committee Meeting
	Student Welfare Committee Meeting
MAY-2026	
	Examination Committee Meeting
	University Exams of UG and PG (as per University schedule)
	Guest Lecture in Different Departments
JUNE-2026	
	Summer Break
	21st Yoga Day Celebration

अध्ययन हेतु विषय

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाली छात्राओं हेतु नियमावली

विषय :-

1. छात्राएं अपने अथवा अन्य संकाय के उपलब्ध विषयों से माइनर विषय का चयन कर सकेंगीं।
2. माईनर विषय का अध्ययन छात्राओं द्वारा केवल विषम सेमेस्टर अर्थात प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर के साथ किया जायेगा।
3. चूंकि उपर्युक्त व्यवस्था में माइनर विषय को छः (6) क्रेडिट आवंटित किये गये है इसलिए छात्राएं माइनर विषय के रूप में अपने दो मेजर विषयों को छोडकर महाविद्यालय में संचालित अन्य किसी मेजर विषय का अध्ययन माइनर विषय के रूप में कर सकेगीं। अर्थात अलग से माइनर विषय का पाठ्यक्रम तैयार करने तथा उसका पठन-पाठन कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
4. चूंकि इस प्रकार चयनित किया गया माइनर विषय किसी अन्य छात्रा का मेजर विषय होगा इसलिए माइनर एवं मेजर विषय का प्रश्न-पत्र एक ही होगा। यदि किसी विषय में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्मिलित है तो वह भी माइनर विषय के रूप में अध्ययन करने वाली छात्रा को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
5. छात्रा को दोनों वर्षो में एक ही विषय का माइनर पेपर लेना अनिवार्य होगा। अर्थात माइनर विषय परिवर्तन का विकल्प उपलब्ध नहीं होगा।
6. छात्राओं द्वारा निम्नलिखित समूहो में से केवल एक ही विषय चयनित किया जा सकेगा। एक विषय समूह मे अंकित समस्त विषयों की परीक्षायें एक ही तिथि एवं समय पर आयोजित होगी।
   a. Sanskrit
   b. History / Music
   c. Drg. & Painting
   d. Poltical Science / Music
   e. Music / Economics / Education
   f. Home Science / Physical Education

7. छात्राओं के लिये निम्नलिखित भाषा विषय उपलब्ध है -
   a. Hindi
   b. English
   c. Sanskrit

बी.ए./बी.कॉम:- बी.कॉम. में प्रवेश लेने वाली सभी छात्राओं के लिए को-करिकुलर, स्किल/वोकेशनल कोर्स एवं माइनर कोर्स अनिवार्य है।

स्नातकोत्तर:- 1.संस्कृत 2. अंग्रेजी 3. अर्थशास्त्र(स्ववित्तपोषित) 4. शिक्षाशास्त्र (स्ववित्तपोषित)

पी.एच.डी.:- छात्राओं के स्वर्णिम भविष्य को ध्यान में रखते हुए स्नातकोत्तर के पश्चात् हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, एवं राजनीति विज्ञान एवं इतिहास विषयों में महाविद्यालय में कुशल, सुयोग्य एवं अनुभवी शिक्षिकाओं के निर्देशन में शोध कार्य भी कराया जा रहा है। तथा इन विषयों के शोध केन्द्र भी महाविद्यालय मे है अनेक शोधार्थी पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं तथा कुछ विद्यार्थी सम्प्रति शोधरत हैं।

Co-Curricular Course List

S.No.	Class	Sem	Course
1.	B.A./B.Com	1st Sem.	First Aid and Basic Health
2.	B.A./B.Com	2nd Sem.	Human Values and Environmental studies
3.	B.A./B.Com	3rd Sem.	Physical Education and Yoga
4.	B.A./B.Com	4th Sem.	Language / Social Responsibility and Community Engagement

नोट:- सभी छात्राएं चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/ स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0 द्वारा बनाये गये ''समाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता (Social Responsibility and Community Engagement) " पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढेंगी भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रूप में लेने वाली छात्राएं समाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम का अध्ययन करेंगी। तथ अन्य छात्राएं भारतीय/ स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगी।

Skill Development Course List

S.No.	Class	Sem	Course	Code
1.	B.A./B.Com	1st Sem.	Basic Communicative English	V0001004TP
2.	B.A./B.Com	1st Sem.	Computer & Hindi Bhasha	V0001042TP
3.	B.A./B.Com	3rd Sem	Beauty and Wellness	V0001081TP

प्रो. साधना तोमर		**एम.ए.(हिन्दी) एम.एड. नेट,पीएच.डी., डी.लिट्.**	**प्राचार्या**
		अंग्रेजी-विभाग	
1.	डॉ0 अलका सिंह	एम.फिल, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 मीनू कश्यप	एम.फिल, नेट, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	रिक्त	–	
4.	रिक्त	–	
		अर्थशास्त्र-विभाग	
1.	डॉ0 रुचि त्यागी	पीएच.डी.	एसोसिएट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	रिक्त	–	–
		हिन्दी-विभाग	
1.	प्रो0 पूनम भारद्वाज	पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	प्रो0 करुणा गुप्ता	एम.फिल, पीएच.डी.	प्रोफेसर
3.	प्रो0 सीमा सिंह	पीएच.डी., जे.आर.एफ	प्रोफेसर
4.	डॉ0 नीशू यादव	नेट, जे.आर.एफ., पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
		इतिहास-विभाग	
1.	प्रो0 मनीला रोहतगी	नेट, एम.फिल, पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
		संगीत गायन-विभाग	
1.	प्रो0 जया शर्मा	पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	रिक्त	–	–
		राजनीति विज्ञान-विभाग	
1.	प्रो0 शालिका अग्रवाल	पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	प्रो0 अमिता शर्मा	पीएच.डी.	प्रोफेसर
		संस्कृत-विभाग	
1.	प्रो0 वसुधा श्री	पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	श्रीमती विनीता पारस	नेट, जे.आर.एफ.	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	रिक्त	–	–

गृह विज्ञान-विभाग			
1.	श्रीमती साधना	नेट	असिस्टेंट प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	रिक्त	–	–
3.		–	–
शिक्षाशास्त्र-विभाग			
1.	प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	नेट, पीएच.डी.	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
2.	डॉ0 सर्वेश कुमारी	नेट, पीएच.डी.	असिस्टेंट प्रोफेसर
3.	श्रीमती प्रियंका सोनकर	नेट, जे.आर.एफ.	असिस्टेंट प्रोफेसर
खेलकूद-विभाग			
1.	प्रो0 सरोजिनी	एम.पी.एड., नेट, पीएच.डी. व्यायाम विशारद, डिप्लोमा इन योगा **NSNISCC (Athletics)**	प्रोफेसर एवं अध्यक्षा
प्रवक्ता (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम)			
ड्राईंग एण्ड पेंटिग-विभाग			
1.	डॉ0 धनेश्वरी कबीरा	पीएच.डी.	अंशकालिक प्रवक्ता
अर्थशास्त्र-विभाग			
1.	डॉ0 रश्मि सिंह	पीएच.डी.	अंशकालिक प्रवक्ता
वाणिज्य-विभाग			
1.	कु0 प्रांगी सिघंल	एम. कॉम., जे.आर.एफ.	अंशकालिक प्रवक्ता
शिक्षाशास्त्र-विभाग			
1.	पद विज्ञापित	–	–

महाविद्यालय में उपलब्ध अन्य सुविधाएं

छात्राओं के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु शिक्षा के साथ-साथ शिक्षणेत्तर गतिविधियां भी महाविद्यालय में संचालित की जा रही हैं यथा-

1. सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान कल्चर क्लबः- वर्ष 2024-25 में आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हापुड़ में शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान कल्चरल क्लब की स्थापना 13/09/2024 को भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ के तत्वावधान में की गयी। इस मद में साहित्यिक- सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों के संचालन हेतु भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा अनुदान दिया जाता है। क्लब के अन्तर्गत वर्ष भर छात्राओं हेतु विभिन्न साहित्यिक सांस्कृतिक, शैक्षणिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है तथा प्रतिभागी छात्राओं को प्रमाण-पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है आगामी वर्षों में भी छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु महाद्यिालय में यह योजना जारी रहेगी।

2. सड़क सुरक्षा क्लबः- आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान वर्ष 2022 से निरंतर चलाया जा रहा है। इस अभियान का आरंभ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखकर किया गया था। सम्मान, संयम, सुरक्षा और सहयोग इसके चार स्तंभ है। जिनका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देना और दुर्घटनाओं को कम करना है। प्रत्येक वर्ष भारत सरकार विशेष थीम के अन्तर्गत सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन करती है। इस वर्ष का लोगो था '' परवाह करेगें, सुरक्षित रहेगें''। महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निबंध लेखन, भाषण, नुक्कड़ नाटक, पोस्टर प्रतियोगिता तथा रैलियों के माध्यम से छात्राओं एवं नगर वासियों को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।

3. खेलकूद अथवा शारीरिक शिक्षा :-

खेल कूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु आउटडोर तथा इंडोर खेल महाविद्यालय में उपलब्ध हैं। शारीरिक शिक्षा की प्राध्यापिका के निर्देशन में छात्राएं बैडमिंटन, बास्केटबॉल, कबड्डी, खो- खो आदि आउटडोर खेल का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती हैं। प्रत्येक वर्ष छात्राएं राष्ट्रीय स्तर, विश्वविद्यालय, जिलास्तर, महाविद्यालय, स्थानीय स्तर, पर विभिन्न खेलों में भाग लेती एवं पुरस्कृत होती हैं।

4. सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिषद :-

साहित्यिक-सांस्कृतिक परिषद के माध्यम से छात्राओं को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता,पोस्टर प्रतियोगिता, गायन एवं नृत्य प्रतियोगिता, रंगोली-मेंहदी प्रतियोगिता में प्रतिभागिता हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। कुशल प्राध्यापिकाओं के निर्देशन में छात्राएं प्रशिक्षण प्राप्त कर विश्वविद्यालय एवं अंतरमहाविद्यालयी प्रतियोगिताओं में भाग

लेती हैं। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक कार्यक्रमों का निर्देशन अनुभवी प्राध्यापिकाओं द्वारा कुशलतापूर्वक किया जाता है। प्रतिवर्ष महाविद्यालय की अधिकाधिक छात्राएं प्रतियोगिताओं में पुरस्कृत होती हैं जिसकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

5. राष्ट्रीय सेवा योजना :-

राष्ट्रीय सेवा योजना में एक यूनिट का संचालन विगत एक दशक से महाविद्यालय में किया जा रहा है। इस वर्ष से दूसरी यूनिट भी संचालित करने की प्रक्रिया जारी है। राष्ट्रीय सेवा योजना वस्तुत: राष्ट्र भाव व शारीरिक श्रम के महत्व को रेखांकित करती है, साथ ही मलिन बस्तियों अथवा पिछड़े समुदायों में जागरूकता पैदा कर उनकी समस्याओं के निराकरण का कार्य भी किया जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में भाग लेने वाली छात्राएं शिविर के दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करती है। पूरे वर्ष में लगभग 120 घंटों का श्रमदान करती हैं। स्वयंसेवी छात्राओं को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर एम.ए., बी.एड., एल.एल.बी. आदि पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अतिरिक्त अंक दिए जाते हैं।

6. महाविद्यालय में रेंजर्स के प्रशिक्षण :-

महाविद्यालय में रेंजर्स के प्रशिक्षण का कार्य भी जारी है। शासन से भेजे गए प्रशिक्षकों द्वारा छात्राओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्राथमिक चिकित्सा, कैंप लगाना, राष्ट्रीयता तथा सामान्य अनुशासन का प्रशिक्षण देने हेतु छात्राओं को टोलियों में बांटा जाता है। टोलियों की कार्यकुशलता के आधार पर उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। प्रतिदिन के प्रशिक्षण की सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जाती है। स्त्री-सशक्तिकरण के लिए रेंजर्स प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण योजना है।

7. करियर काउंसलिंग परिषद:-

करियर काउंसलिंग परिषद के तत्वावधान में महाविद्यालय समय-समय पर करियर काउंसलिंग हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारी, मोटिवेशनल स्पीकर्स, पुरातन छात्रा तथा विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत महत्वपूर्ण अधिकारियों को आमंत्रित कर उनके व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। प्रभावशाली व्याख्यान छात्राओं को सशक्त एवं स्वावलंबी होने तथा अपना लक्ष्य निर्धारित करने में मदद करते हैं।

8. पुस्तकालय :-

महाविद्यालय प्रांगण में छात्राओं के अध्यन हेतु एक सुव्यवस्थित पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था है। जिसमें अध्ययन-अध्यापन हेतु आवंटित विषयों की लगभग 28000 महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पुस्तकें उपलब्ध हैं। वाचनालय में 100 छात्राओं के बैठने की व्यवस्था है। प्राध्यापिकाओं हेतु वाचनालय में अलग से बैठने की सुविधा उपलब्ध है। संप्रति छात्राओं की आवश्यकता को देखते हुए महाविद्यालय के पुस्तकालय का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। छात्राओं के सर्वांगीण विकास हेतु पुस्तकालय में अंग्रेजी तथा हिंदी के विभिन्न दैनिक पत्रों के साथ साप्ताहिक, मासिक एवं वार्षिक पत्रिकाएं , प्रतियोगितात्मक एवं

शोध पत्रिकाएं भी मंगाई जाती हैं। छात्राओं को प्रतिवर्ष पुस्तकालय के कार्ड जारी किए जाते हैं जिससे वह समय-समय पर आवश्यकतानुसार दो सप्ताह के लिए पुस्तकें आवंटित करा सकती हैं। छात्राओं के लिए बुक बैंक की सुविधा उपलब्ध है। पुस्तकालय में समय-समय पर छात्राओं को विभिन्न विषयों पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी दिखाई जाती हैं। छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पत्रिकाएं एवं विभिन्न प्रकार की जानकारी भी पुस्तकालय द्वारा उपलब्ध कराई जाती है।

9. मेधावी छात्राओं हेतु महाविद्यालय की पुरस्कार-योजना :-

महाविद्यालय की मेधावी छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा पुरस्कृत किया जाता है। यह योजना निरंतर विस्तारित की जा रही है। महाविद्यालय की प्राध्यापिकाओं द्वारा स्नातकोत्तर स्तर (अंतिम वर्ष) के विषयों तथा स्नातक बी.कॉम. एवं स्नातक अंतिम वर्ष में सभी विभागों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को स्वर्ण पदक एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। साहित्यिक- सांस्कृतिक समिति एवं विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाली छात्राओं को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। समय-समय पर इसकी सूचना प्रेस विज्ञप्ति समिति द्वारा समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है।

10. नेट एवं रेमेडियल कक्षाएं :-

छात्राओं के हित को ध्यान में रखते हुए तथा शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने हेतु महाविद्यालय में नेट, रेमेडियल तथा प्रतियोगी परीक्षाओं से संबधित कक्षाएं भी संचालित की जाती हैं।

अध्ययन - केन्द्र
इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का अध्ययन केन्द्र भी महाविद्यालय में संचालित है, जिसमें विभिन्न पाठ्यक्रमों के अध्ययन की सुविधा है। इन पाठ्यक्रमों का विवरण इस प्रकार है-

अध्ययन केन्द्र सं 39022 सम्पर्क : 0122-2300069

S.No.	Programme	Eligibility	Duration Min.	Duration Max.	Fee	Admission Cycle
1.	M.A. (Hindi)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
2.	M.A. (English)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
3.	M.A. (Pol. Science)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
4.	M.A. (Sociology)	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	3700/- Yr. 3600/- Yr.	Apr. & Oct.
5.	M.Com	Bachelor's Degree or a higher degree from a recognized Univesity	2 Yrs.	5 Yrs.	9000/- Yr.	Apr. & Oct.
6.	B.Com	10+2 or its equivalent or BPP from IGNOU	3 Yrs.	6 Yrs.	1700/- Yr.	Apr. & Oct.
7.	PGPT	10+2 or its equivalent	1 Yrs.		4000/- Yr.	Apr. & Oct.
8.	PGPT	10+2 or its equivalent	1 Yrs.		7000/- Yr.	Apr. & Oct.

Note: BA Programme & BA Hindi (Hons) (Available Soon)
टिप्पणी - बी.कॉम प्रोग्राम के लिए एस.सी. व एस.टी. छात्राओं के लिए कोई शुल्क नहीं है।

स्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

'कला-संकाय'

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	हिन्दी	3	180
2.	संस्कृत	3	180
3.	अंग्रेजी	2	120
4.	शिक्षा शास्त्र	2	120
5.	अर्थ शास्त्र	2	120
6.	राजनीति विज्ञान	2	120
7.	गृह विज्ञान	2	120
8.	इतिहास	1	60
9.	संगीत	1	60
10.	ड्राईंग एवं पेंटिंग (स्ववित्तपोषित)	1	60
11.	शारीरिक शिक्षा	1	60

'वाणिज्य-संकाय'

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	वाणिज्य (बी.कॉम.) (स्ववित्तपोषित)	1	60

परास्नातक स्तर पर उपलब्ध सीट संख्या

क्र0सं0	विषय	अनुमोदित सैक्शन	सीट संख्या
1.	अंग्रेजी	1	60
2.	संस्कृत	1	60
3.	शिक्षा शास्त्र (स्ववित्तपोषित)	1	60
4.	अर्थ शास्त्र (स्ववित्तपोषित)	1	60

प्रवेश-समितियाँ 2025-26

कला संकाय (स्नातक)			
प्रथम वर्ष	1.	प्रो0 अमिता शर्मा	संयोजिका
	2.	प्रो0 करुणा गुप्ता	सदस्या
	3.	प्रो0 मनीला रोहतगी,	सदस्या
	4.	प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
	5.	डॉ0 मीनू कश्यप	सदस्या
	6.	डॉ0 प्रियंका सोनकर	सदस्या
	7.	कु0 गुन्जन रानी	सदस्या
	8.	श्री हर्षित	तकनीकी सहायक
	9.	श्री अविशंकर	तकनीकी सहायक
द्वितीय वर्ष	1.	प्रो0 करुणा गुप्ता	संयोजिका
	2.	डॉ0 नीशू यादव	सदस्या
तृतीय वर्ष	1.	प्रो0 पूनम भारद्वाज	संयोजिका
	2.	प्रो0 सीमा सिंह	सदस्या
वाणिज्य संकाय (स्नातक)			
प्रथम वर्ष	1.	प्रो0 सरोजिनी	संयोजिका
	2.	डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
	3.	डॉ0 रश्मि कुमारी	सदस्या
	4.	श्रीमती शालू	सदस्या
	5.	श्री हर्षित	तकनीकी सहायक
	6.	श्री अविशंकर	तकनीकी सहायक
द्वितीय वर्ष	1.	प्रो0 वसुधा श्री	संयोजिका
	2.	कु0 प्रांगी सिघंल	सदस्या
तृतीय वर्ष	1.	प्रो0 जया शर्मा	संयोजिका
	2.	श्रीमती विनीता पारस	सदस्या

प्रवेश-समितियाँ 2025-26

		एम0 ए0 संस्कृत (परास्नातक)	
प्रथम एवं तृतीय सेमे0	1. 2.	प्रो0 वसुधा श्री श्रीमती विनीता पारस	संयोजिका सदस्या
		एम0 ए0 अंग्रेजी (परास्नातक)	
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1. 2.	डॉ0 अलका सिंह डॉ0 मीनू कश्यप	संयोजिका सदस्या
		एम0 ए0 शिक्षा शास्त्र (परास्नातक)	
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1. 2.	प्रो0 अर्पणा त्रिपाठी डॉ0 प्रियंका सोनकर	संयोजिका सदस्या
		एम0 ए0 अर्थशास्त्र (परास्नातक)	
प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर	1.	डॉ0 रुचि त्यागी डॉ0 रश्मि कुमारी	संयोजिका सदस्या

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के क्रियान्वयन हेतु प्रकोष्ठ सूची

1. उद्योग-अकादमिक एकीकरण एवं कौशल प्रकोष्ठ

1. प्रो0 सरोजिनी	संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
3. डॉ0 प्रियंका सोनकर	सदस्या
4. श्रीमती साधना	सदस्या

2. ऑनलाईन शिक्षा एवं एल0एम0एस0 प्रकोष्ठ

1. प्रो0 मनीला रोहतगी	संयोजिका
2. डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
3. डॉ0 मीनू कश्यप	सदस्या
4. डॉ0 प्रियंका सोनकर	सदस्या
5. श्री हर्षित सिंह	तकनीकी सहायक

3. शिक्षण-प्रशिक्षण प्रकोष्ठ

1. प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	संयोजिका
2. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
3. डॉ0 प्रियंका सोनकर	सदस्या

4. अनुसन्धान एवं विकास प्रकोष्ठ

1. प्रो0 अमिता शर्मा	संयोजिका
2. प्रो0 करुणा गुप्ता	सदस्या
3. प्रो0 मनीला रोहतगी	सदस्या
4. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या

5. संस्थागत विकास योजना प्रकोष्ठ

1. प्रो0 जया शर्मा	संयोजिका
2. प्रो0 वसुधा श्री	सदस्या
3. प्रो0 मनीला रोहतगी	सदस्या
4. श्रीमती साधना	सदस्या
5. श्री कैलाश चन्द गौड़	सदस्य

6. एक्टिविटी क्लब प्रकोष्ठ

1. प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	संयोजिका
2. डॉ0 अलका सिंह	सदस्या
3. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या
4. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या

7. भारतीय भाषा, कला, संस्कृति एवं कला प्रकोष्ठ

1. प्रो0 जया शर्मा	संयोजिका
2. प्रो0 वसुधा श्री	सदस्या
3. प्रो0 करुणा गुप्ता	सदस्या
4. डॉ0 अलका सिंह	सदस्या
5. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या
6. डॉ0 नीशू यादव	सदस्या
7. डॉ0 धनेश्वरी कबीरा	सदस्या

8. अन्तर्राष्ट्रीय छात्रा सहायता प्रकोष्ठ

1. प्रो0 मनीला रोहतगी	संयोजिका
2. डॉ0 रुचि त्यागी	सदस्या
3. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या
4. डॉ0 प्रियंका सोनकर	सदस्या

9. दिव्यांग सहायता एवं वांछित समूह प्रकोष्ठ

1. प्रो0 पूनम भारद्वाज	संयोजिका
2. डॉ0 अलका सिंह	सदस्या
3. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या

10. मैंटरिंग एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श प्रकोष्ठ

1. प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	संयोजिका
2. प्रो0 सीमा सिंह	सदस्या
3. डॉ0 मीनू कश्यप	सदस्या
4. श्रीमती विनीता पारस	सदस्या

11. छात्र शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

1. प्रो0 मनीला रोहतगी	संयोजिका
2. प्रो0 वसुधा श्री	सदस्या
3. प्रो0 करुणा गुप्ता	सदस्या
4. प्रो0 अपर्णा त्रिपाठी	सदस्या
5. प्रो0 अलका सिंह	सदस्या
6. डॉ0 सर्वेश कुमारी	सदस्या

स्नातक/चार वर्षीय स्नातक/परास्नातक कार्यक्रमों/पाठयक्रमों/की संरचना

(Structure of UG, FYUP and PG Programmes)

1. संदर्भ (Introduction)-

यू0जी0सी0 द्वारा जारी किये गये Curriculum & Credit Framework for Four Years Undergraduate Programme (FYUP) में 20 Credit प्रति सेमेस्टर का प्रावधान है जबकि उत्तर प्रदेश में शासनादेश संख्या-1567/सत्तर-3-2021-16(26)/2011 टी.सी, दिनांक 13 जुलाई, 2021 द्वारा लागू NEP-2020 की संरचना में Credits अधिक है। शिक्षकों एवं छात्रों की ओर से भी पिछले दो वर्षों में यह महसूस किया जा रहा है कि छात्रों पर Credits का भार ज्यादा है और उसे कुछ कम किया जा सकता है। अतः उत्तर प्रदेश में उच्च शिक्षा के वर्तमान UG-PG पाठ्यक्रम संरचना में UGC-FYUP के 20 क्रेडिट/सेमेस्टर के प्रावधान को अंगीकृत करते हुए संशोधित तालिकायें तथा उनका विस्तृत विवरण निम्नवत् है :-

2. क्षेत्र (Scope)-

2.1 (अ) यह व्यवस्था कला, विज्ञान, वाणिज्य आदि संकायों में त्रिवर्षीय बहुविषयक स्नातक तथा चार वर्षीय स्नातक (मानद व मानद शोध सहित) यथा बी0ए0, बी0एससी0 एवं बी0काम0 तथा एकल विषय परास्नातक यथा एम0ए0, एम0एससी0, एम0काम0 कार्यक्रमों में लागू होगी।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकायं स्नातक यथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि कार्यक्रमों में भी लागू होगी।

2.2 (अ) त्रिवर्षीय स्नातक स्तर पर विभिन्न विषयों के न्यूनतम समान पाठ्यक्रम (Minimum Common Syllabus) पूर्व में ही उपलब्ध करा दिये गये हैं। वह आगे भी लागू रहेंगे।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (FYUP) कोर्स का पाठ्यक्रम स्नातक के तीन वर्ष एवं परास्नातक के प्रथम वर्ष को जोड़कर माना जायेगा, पृथक से नये पाठ्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं होगी।

2.3 (अ) बहुविषयक त्रिवर्षीय स्नातक, चार वर्षीय स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोध सहित), परास्नातक एवं प्री-पीएच0डी0 कोर्स वर्क इत्यादि में विषयों तथा क्रेडिट्स की विस्तृत जानकारी तालिका-1 में दी गई है।

(ब) त्रिवर्षीय एकल विषय स्नातक, स्नातक (आनर्स), यथा बी0एससी0 (माइक्रोबाओलोजी) इत्यादि तथा एकल विषयक/संकाय स्नातक थथा बी0सी0ए0, बी0बी0ए0 आदि के लिए व्यवस्था तालिका-2 में दी गई है।

2.4 अन्य संकायो अथवा कार्यक्रमों यथा-चिकित्सा, तकनीकी, शिक्षक शिक्षा, कृषि, विधि आदि में नियामक संस्थाओं के नियम लागू होते हैं, उन के लिए व्यवस्था का निर्धारण नियामक संस्थाओं यथा-एम0सी0आई0 ए0आई0सी0टी0ई0, एन0सी0टी0ई0, बी0सी0आई0 आदि के एन0ई0पी0-2020 के अनुरूप नए पाठ्यक्रम व संरचना आने पर किया जायेगा।

3. परिभाषाएं-

3.1 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme)-

एक वर्ष का सर्टिफिकेट, दो वर्ष का डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (मानद)

स्नातक: (मानद शोध सहित) डिग्री एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड), पाँच वर्ष की स्नातकोत्तर डिग्री तथा शोध उपाधि यथा-बी0ए0, बी0एससी0 बी0कॉम, बी0एड0, बी0बी0ए0, बी0एल0ई0, एम0ए0, एम0एससी0, एम0कॉम0, एल0एल0बी0, पी0एच0डी0 इत्यादि।

3.2 संकाय (Faculty)-

3.2.1 संकाय विषयों का समूह है यथा -कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय इत्यादि।

3.2.2 छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने के लिये संकायों में विषयों को वर्गीकरण एवं विषय कोडिंग की व्यवस्था शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनोंक 15.06.2021 के अनुसार होगी।

3.2.3 उक्त शासनादेश में निर्धारित कतिपय संकायों को यू0जी0सी0 के सुझाव के अनुसार और अधिक विभाजित किया जा रहा है। जैसे कि विज्ञान संकाय को गणितीय विज्ञान, जैविक विज्ञान, भौतिकीय विज्ञान संकाय इत्यादि तथा भाषा संकाय को भारतीय व विदेशी भाषा संकायों इत्यादि में। उक्त के लिए पृथक से शासनादेश जारी किया जायेगा।

3.2.4 कला एवं विज्ञान संकायों में विभाजन को बहुविषयकता के लिये अलग संकाय माना जायेगा किन्तु उन्हें डिग्री क्रमशः कला संकाय (बी0ए0) एवं विज्ञान संकाय (बी0एससी0) की ही मिलेगी। इसी प्रकार ग्रामीण विज्ञान जो कि कला संकाय से विभाजित हुआ है, में भी कला संकाय (बी0ए0)की डिग्री मिलेगी।

3.2.5 संकायों में विषयों के वर्गीकरण की यह व्यवस्था मात्र विषय कोडिंग एवं छात्रों को बहुविषयकता उपलब्ध कराने हेतु है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में जो संकाय एवं प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, यह यथावत् रहेगी। (शासनादेश संख्या-1276/सत्तर-3-2021-10(26)/2011, दिनांक 16-06-2021)

3.3 विषय (Subject)- यथा

3.3.1. संस्कृत, हिन्दी, जन्तु विज्ञान, इतिहास आदि।

3.3.2. एक विषय एक ही संकाय में सूचीबद्ध होगा।

3.4 कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र (Course Paper)-

3.4.1 एक विषय के विभिन्न थ्योरी/प्रैक्टिकल के पेपर को कोर्स/पेपर/प्रश्नपत्र कहा जायेगा।

3.4.2 थ्योरी, प्रैक्टिकल और शोध परियोजना के पेपर्स /प्रश्नपत्रों का कोड अलग-अलग होगा।

4. मुख्य (मेजर) विषय तथा माइनर विषय के इलेक्टिव पेपर

4.1 प्रारम्भ में विद्यार्थी का प्रवेश तीन वर्ष की स्नातक डिग्री हेतु होगा। चौथे वर्ष में विद्यार्थी चार वर्ष की स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) एवं स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री में से किसी एक का चयन कर सकते हैं।

4.2 (अ) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों को चार वर्षीय स्नातक (FYUP) की मान्यता/सम्बद्धता नये कोर्स के रूप में नियमानुसार प्रदान कर सकते हैं।

(ब) विश्वविद्यालय इच्छुक संस्थानों के आवेदन करने पर तीन वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को

विश्वविद्यालय के नियमानुसार चार वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम (FYUP) में उच्चीकृत कर सकते हैं।

4.3 (अ) विद्यार्थी को प्रवेश के समय बी0ए0, बी0एस0सी0, बी0कॉम0 आदि में से किसी एक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम का चयन करना होगा और उसे उस पाठ्यक्रम के दो मुख्य (मेजर) विषयों का चयन करना होगा। इसी पाठ्यक्रम में विद्यार्थी को डिग्री मिलेगी। पाठ्यक्रम के चयनित विषयों का अध्ययन वह तीन/चार वर्ष (प्रथम से छठे/अष्ट्म सैमेस्टर) तक कर सकता है। यदि वह किसी वर्ष /वर्षों में विषय परिवर्तित करता है तो उसे बिन्दु 8.8 के अनुसार डिग्री दी जायेगी।

(ब) चार वर्षीय स्नातक (मानद) एवं स्नातक (मानद शोथ सहित) डिग्री के लिए चतुर्थ वर्ष में विद्यार्थी उपरोक्त दो मेजर विषयों में से किसी एक विषय (जिसका अध्ययन विद्यार्थी ने अनिवार्य रूप से पूर्व के तीन वर्षों/छः सेमेस्टर में किया है) का चयन करेगा तथा सप्तम व अष्टम् सेमेस्टर्स में भी उसी विषय को पढ़ेगा।

(स) तीन वर्षीय स्नातक के पश्चात विद्यार्थी किसी नये विषय में परास्नातक में प्रवेश से सकता है (जिसमें Pre-requistie) के अनुसार वह अर्ह है), परन्तु एक वर्ष की परास्नातक/चतुर्थ वर्ष की पढ़ाई के बाद उसे कोई डिग्री अथवा डिप्लोमा नहीं मिलेगा। दो वर्ष पूर्ण एवं उत्तीर्ण करने पर ही उसे उस विषय में परास्नातक की डिग्री मिलेगी।

(द) त्रिवर्षीय स्नातक के अध्ययन के पश्चात चार वर्षीय डिग्री के लिए भी विद्यार्थी को उस विषय में परास्नातक में नया प्रवेश लेना होगा जो कि विश्वविद्यालय में प्रचलित प्रवेश प्रक्रिया के अनुरूप परास्नातक की उपलब्ध सीटों पर किया जायेगा।

4.4 विद्यार्थी द्वारा तीसरे गौण (माइनर) विषय का चयन बहुविषयकत्ता के लिए किसी भी अन्य संकाय से विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सीट उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

4.5 तीसरे गौण (माइनर) विषय का कोर्स किसी भी विषय का इलेक्टिव पेपर (5 क्रेडिट) होगा, न कि पूर्ण विषय। इस कोर्स के चुनाव में (Pre-requistie) का ध्यान रखा जाना आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय अपने स्तर पर यह निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा कोर्स गौण (माइनर) विषय के रूप में दिया जा सकता है।

4.6 सभी विश्वविद्यालय उपलब्ध संसाधनों के आधार पर अन्य संकाय/विषय के छात्रों के लिये माइनर इलैक्टिव पेपर (6 क्रेडिट का) तैयार कर सकते हैं। ऐसे माइनर इलैक्टिव कोर्स/पेपर का पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय की बोर्ड आफ स्टडीज, विद्धत परिषद् इत्यादि में नियमानुसार अनुमोदित कराया जायेगा। इस प्रकार के इलैक्टिव पेपर की कक्षायें विश्वविद्यालय /महाविद्यालयों में अलग से होगी तथा परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार आयोजित होंगी।

4.7 विश्वविद्यालय माइनर पेपर/स्किल कोर्स के लिये स्वयम् (SWAYAM) पोर्टल एवं अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों की वेबसाइट पर उपलब्ध कोर्स की सूची बनाकर संस्तुत कर सकते हैं। उक्तानुसार संस्तुत कोर्स का अध्ययन विद्यार्थी स्वयम् (SWAYAM) एवं अन्य मान्यता प्राप्त संस्थानों की वेबसाइट से निःशुल्क कर सकते हैं तथा विश्वविद्यालय इन कोसों की परीक्षा माइनर पेपर के साथ करायेंगे।

4.8 यदि विद्यार्थी उक्त कोर्सेज को स्वयम् (SWAYAM) अथवा अन्य मान्यता प्राप्त आनलाईन संस्थानों से

परीक्षा देकर उत्तीर्ण करता है, तो वह इसका सर्टीफिकेट अपने महाविद्यालय/विश्वविद्यालय में जमा करेगा। माइनर पेपर्स के लिये अधिकतम 12 क्रेडिट तथा स्किल कोर्स के लिये अधिकतम 9 क्रेडिट मान्य होंगे तथा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित ग्रेड प्वाइन्ट्स इन्हीं क्रेडिट को दिये जायेंगे तथा (SGPA/CGPA) की गणना की जायेगी।

4.9 एनसीसी को शासनादेश संख्या-1815/सत्तर-3-2021-16(26)/2011, दिनांक 09.082021 में वर्णित व्यवस्थानुसार माइनर विषय के क्रेडिट प्रदान किये जा सकते हैं।

5. <u>कौशल विकास कोर्स (Vocational/Skill development Course)</u>

5.1 स्नातक स्वर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (प्रथम तीन सेमस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3 x 3=9 के कुल तीन पाठ्यक्रम) करना अनिवार्य होगा।

5.2 उक्त कौशल विकास कोर्स पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-1969/सत्तर -3-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार संचालित किये जाएं।

5.3 यदि विद्यार्थी यू0जी0सी0/PMKVY 4.0/केन्द्र /राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त संस्था से तीन या उससे अधिक क्रेडिट का कोई ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन कौशल विकास कोर्स करता है तो उसे उतने ही क्रेडिट प्रदान कर दिए जायेंगे। स्नातक के लिए कुल 9 क्रेडिट अर्जित करना आवश्यक है। विद्यार्थी अधिकतम् 9 क्रेडिट (एक साथ /अलग -अलग) को कम अथवा अधिक समय में पूरे कर सकते है।

6. <u>सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स (Co-Curricular Courses)</u>

6.1 स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (चार सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में दो क्रेडिट का एक सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम/कोर्स करना अनिवार्य होगा अर्थात कुल 8 क्रेडिट (4 कोर्स से) अर्जित करने होंगे।

6.2 इन सह-पाठ्यचर्या पाठ्यक्रमों/कोर्सेज की परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र के माध्यम से करायी जायेगी। इनमें उत्तीर्ण प्रतिशत वहीं होगा जो मुख्य व माइनर विषय के पेपर्स में होगा तथा इनमें प्राप्त ग्रेड्स को सी0जी0पी0ए0 की गणना में सम्मिलित किया जायेगा।

6.3 प्रथम सेमेस्टर में प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (First aid and Basic Health), द्वितीय सेमेस्टर में मानवीय मूल्य एवं पर्यावरण अध्ययन (Human Value and Environment studies), तृतीय सेमेस्टर में शारीरिक शिक्षा एवं योग (Physical Education and Yoga) या आध्ययन किया जायेगा, जिनके पाठ्यक्रम पूर्व से संचालित है।

6.4 सभी विश्वविद्यालय चतुर्थ सेमेस्टर में एक भारतीय/ स्थानीय भाषा तथा यू0जी0सी0द्वारा बनाये गये ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहतागिता (Social Responsibility and Community Engagement)" पाठ्यक्रम अनिवार्य रूप से पढ़ेगें। भारतीय भाषा को मुख्य विषय के रुप में लेने वाली छात्राएं ''सामाजिक उत्तरदायित्व एवं सामुदायिक सहभागिता पाठ्यक्रम'' का अध्ययन करेंगी तथा अन्य छात्राएं भारतीय / स्थानीय भाषा का अध्ययन करेंगीं।

7. शोध परियोजाना (Research Project)

7.1 स्नातक स्तर पर द्वित्तीय वर्ष के बाद ग्रीष्मावकाश में विद्यार्थी अपने द्वारा चयनित दो मुख्य विषयों में से किसी एक विषय से संबंधित तीन क्रेडिट की एक शोध परियोजना करेगा। ग्रीष्मावकाश में पूर्ण न कर पाने की स्थिति में यह शोध परियोजना तृतीय वर्ष के पंचम सेमेस्टर में भी की जा सकती है परन्तु उसे द्वितीय वर्ष में उत्तीर्ण तभी माना जायेगा जब उसके द्वारा उक्त शोध परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी।

7.2 स्नातक चतुर्थ वर्ष अथवा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के दोनों सेमेस्टर्स में विद्यार्थी चार-चार क्रेडिट के दो कोर्स के स्थान पर एक शोध परियोजना ले सकता है। यह शोध परियोजना एक सप्तम एवं एक अष्टम सेमेस्टर के ब्योरी कोर्स के स्थान पर लेनी होंगी ना कि किसी एक सेमेस्टर के दो कोर्स के स्थान पर। स्नातक चतुर्थ वर्ष में शोध सहित होने वाले विद्यार्थी को स्नातक (मानद शोध सहित) की उपाधि दी जाएगी।

7.3 स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष (उच्च शिक्षा का पंचम वर्ष) में अनिवार्य रूप से एक शोध परियोजना करनी होगी जो कि नवन एवं दशम सेमेस्टर में चार-चार क्रेडिट्स की होगी।

7.4 पी.जी.डी.आर. में चार क्रेडिट की शोध परियोजना का स्वरुप विश्वविद्यालय अपने प्री-पी.एच.डी. कोर्स वर्क के अनुसार निर्धारित करेंगे। स्नातक (मानद शोध सहित) उपाधि प्राप्तकर्ता परास्नातक पूर्ण किये बिना भी पी0एच0डी0 की प्रवेश प्रक्रिया जैसे प्रवेश परीक्षा एवं साक्षात्कार इत्यादि के लिए अर्ह होगा।

7.5 शोध परियोजना एक शिक्षक सुपरवाईजर के निर्देशन में पूर्ण की जायेगी। सुपरवाईजर के रूप में एक अन्य विशेषज्ञ को किसी उद्योग /कम्पनी /तकनीकी संस्थान /शोध /शिक्षण संस्थान से लिया जा सकता है।

7.6 यह शोध परियोजना इन्टरडिस्पलनरी /मल्टीडिस्पलनरी भी हो सकती है। यह शोध परियोजना इण्डस्ट्रियल ट्रेनिंग /इन्टर्नशिप /सर्वे वर्क इत्यादि के रुप में भी हो सकती है।

7.7 विद्यार्थी स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के पश्चात की गई शोध परियोजना की प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.8 स्नातक (मानद शोध सहित) /स्नातकोत्तर स्तर पर विद्यार्थी वर्ष के अंत में दोनों सेमेस्टर में की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट /शोध प्रबन्ध (Report/ Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.9 पी0जी0डी0आर0, स्तर पर विद्यार्थी प्री-पीएच0डी0 कोर्स वर्क के पश्चात की गई शोध परियोजना की रिपोर्ट/ शोध प्रबन्ध (Report/ Dissertaion) अपने विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में जमा करेगा।

7.10 बिन्दु 7.1 के अतिरिक्त उपरोक्त सभी स्नातकोत्तर कार्यक्रम शोध परियोजनाओं का मूल्यांकन सुपरवाईजर एवं विश्वविद्यालय द्वारा नामित वाहय परीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से 100 (75 शोध प्रबंध +25 शोध पत्र) अंकों में से किया जायेगा। विद्यार्थी अपनी इस शोध परियोजना में से पेटेन्ट प्रकाशन अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) स्नातकोत्तर कार्यक्रम के दौरान

प्रकाशित करवायेगा। 25 अंक पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) पर ही देय होंगे। पेटेन्ट अथवा शोध पत्र (UGC-CARE listed) अथवा बुक चैप्टर (ISBN) न होने पर प्राप्तांक अधिकतम् 75 अंक ही देय होंगे । पूर्णांक अधिकतम 100 ही होंगे। दो राष्ट्रीय / अन्तर्राष्ट्रीय सेमिनार /संगोष्ठी में पेपर प्रजेन्ट करने पर भी 25 अंक देय होंगे। पेटेन्ट /शोध पत्र/बुक चैप्टर का प्रकाशन सुपरवाईजर तथा कई विद्यार्थियों द्वारा संयुक्त रूप से कराने पर भी मान्य होगा।

7.11 स्नातक, स्नातक (मानद शोध सहित), स्नातकोत्तर एवं पी0जी0डी0आर0 के विद्यार्थियों की ग्रेड शीट पर शोध परियोजना के प्राप्तांकों पर आधारित ग्रेड अंकित होंगे तथा उन्हें सी0जी0पी.ए0 की गणना में भी सम्मलित किया जायेगा।

8. <u>क्रेडिट एंव क्रेडिट निर्धारण –</u>

8.1 थ्योरी के एक क्रेडिट के पेपर में एक घंटा /प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 15 घंटे का शिक्षण कराना होगा।

8.2 प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के एक क्रेडिट के पेपर में दो घंटे /प्रति सप्ताह का शिक्षण कार्य होगा, अर्थात एक सेमेस्टर के 15 सप्ताह में 30 घंटे का प्रैक्टिकल /इन्टर्नशिप / फील्ड वर्क आदि कराना होगा। शिक्षक के कार्यभार की गणना में थ्योरी के एक घंटे का कार्यभार प्रैक्टिकल/इन्टर्नशिप/फील्ड वर्क आदि के दो घंटे के कार्यभार के बराबर होगा अर्थात प्रैक्टिकल के दो घंटे का वर्क लोड माना जायेगा।

8.3 क्रेडिट सम्बन्धित समस्त कार्य ''ऐकेडमिक बैंक आफ क्रैडिट'' (ABC/ABACUS) के माध्यम से किये जायेंगे, जिसके दिशा-निर्देश पृथक से समय-समय पर जारी किए जाते हैं।

8.4 विद्यार्थी न्यूनतम 40 क्रेडिट अर्जित करने पर एक वर्षीय सर्टीफिकेट, न्यूनतम 80 क्रेडिट अर्जित करने पर द्विवर्षीय डिप्लोमा तथा न्यूनतम 120 क्रेडिट अर्जित करने पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी न्यूनतम 100 क्रेडिट अर्जित करने पर चार वर्षीय स्नातक (मानद), स्नातक (मानद शोध सहित) अथवा स्नातक (एप्रेन्टिससिप एम्बेडिड) डिग्री, न्यूनतम 200 क्रेडिट अर्जित करने पर स्नातकोत्तर डिग्री तथा न्यूनतन 216 क्रेडिट अर्जित करने पर पी0जी0डी0 आर0, की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं।

त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री के पश्चात् विश्वविद्यालय /महाविद्यालय में संसाधन की उपलब्धता होने पर विद्यार्थी एक वर्ष की 40 क्रेडिट की इंटर्नशिप NATS या समकक्ष /समतुल्य से कर सकता है। यह इंटर्नशिप विद्यार्थी 6 माह के दो अथवा 4 माह के तीन अथवा 3 माह के चार भागों में भी कर सकता है। यह इंटर्नशिप विश्वविद्यालय / महाविद्यालय के मार्गदर्शन में सहयोगी संस्था /इन्डस्ट्री से की जायेगी। 40 क्रेडिट (1200 घण्टों) की इस इंटर्नशिप के पश्चात् विद्यार्थी को स्नातक (इंटर्नशिप /एप्रेन्टिससिप सहित) की उपाधि दी जायेगी।

8.5 एक बार क्रेडिट का उपयोग करने के पश्चात विद्यार्थी उन पेपर के क्रेडिट का उपयोग पुन: नहीं कर सकेगा। उदाहरण के लिये यदि कोई छात्र एक वर्ष के बाद 40 क्रेडिट का प्रयोग कर सर्टीफिकेट प्राप्त करता है तो उसके क्रेडिट खर्च माने जायेंगे। यदि वह कुछ वर्षों बाद डिप्लोमा लेना चाहता है, तो यह या

तो अपना मूल सर्टीफिकेट विश्वविद्यालय में जगा (Surender) कर 40 क्रेडिट को खाते में री-क्रेडिट (Re-Credit) करेगा। यदि विद्यार्थी री-क्रेडिट (Re-Credit) नहीं करता है तो, नए 40 क्रेडिट पुनः जमा करेगा तथा जिसके आधार पर द्वितीय वर्ष (वास्तविक तृतीय वर्ष) में 80 (40+40) क्रेडिट अर्जित कर डिप्लोमा प्राप्त कर सकता है। इसी तरह की व्यवस्था आगामी वर्षों के लिये भी होगी। यदि विद्यार्थी लगातार अध्ययन करता है तथा सर्टीफिकेट /डिप्लोमा नहीं लेता है तो यह 120 क्रेडिट के आधार पर त्रिवर्षीय स्नातक डिग्री प्राप्त कर सकता है।

8.7 द्वितीय वर्ष में संकाय अथवा विषय परिवर्तन की स्थिति में अर्जित क्रेडिट सर्टीफिकेट की श्रेणी में आयेंगे, न कि डिप्लोमा क्योंकि डिप्लोमा प्राप्त करने के लिये उसे उसी विषय को लिए आवश्यक क्रेडिट प्राप्त करने होंगे।

8.8 तीन वर्ष में विद्यार्थी जिस संकाय के दो मुख्य विषयों में न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट प्राप्त करेगा, उसी संकाय में उसे डिग्री दी जायेगी और विश्वविद्यालय नियमानुसार स्नातकोत्तर में प्रदेश की सुविधा होगी।

जैसे यदि विद्यार्थी तीन वर्ष में किसी एक संकाय में, दो मुख्य विषयों के कुल क्रेडिट का न्यूनतम् 60 प्रतिशत क्रेडिट (88 का 60 प्रतिशत अर्थात 53 क्रेडिट) प्राप्त नहीं कर पाता है, तो उसे बैचलर आफ लिबरल ऐजूकेशन की डिग्री दी जायेगी तथा वह उन विषयों में स्नातकोत्तर कर सकेगा जिनमें स्नातक स्तर पर किसी विषय के प्रीरिक्वजाइट (prerquisite) की आवश्यकता नहीं होगी।

8.9 यदि कोई योग्य छात्र सर्टीफिकेट/डिप्लोमा ले कर अपने क्रेडिट री-क्रेडिट (re-credit) कर लेता है और वह आगामी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो यह री-क्रेडिट किये गये क्रेडिट का उपयोग कर पुनः सर्टीफिकेट/ डिप्लोना प्राप्त कर सकता है।

8.10 विद्यार्थी निकास के समय आवश्यक कुल क्रेडिट के अधिकतम 40 प्रतिशत तक (as per UGC/NEP guidlines) क्रेडिट आनलाइन शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं।

9. उपस्थिति व क्रेडिट निर्धारण -

9.1 क्रेडिट वैलीडेशन के लिये परीक्षा देना आवश्यक होगा। परीक्षा के बिना क्रेडिट अपूर्ण होंगे।

9.2 परीक्षा देने के लिये पूर्व नियमानुसार 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी।

9.3 यदि कोई विद्यार्थी कक्षा में उपस्थिति के आधार पर परीक्षा के लिये अर्हता प्राप्त करता है, परन्तु किसी कारण से परीक्षा नहीं दे पाता, तो यह आगामी समय में अर्हित परीक्षा दे सकता है। उसे पुनः कक्षायें लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

10. प्रवेश नियमावली एवं प्रक्रिया तथा समय-सारणी (Time Table)-

10.1 विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी उच्च शिक्षण संस्थान /महाविद्यालय प्रवेश आरम्भ होने से पूर्व ही अपनी समय-सारणी (Time Table) तैयार कर लें, जिससे विद्यार्थी प्रवेश के समय अन्य संकाय के उन विषयों का चयन कर सकें जिनकी कक्षायें अलग समय पर संचालित होती हों ताकि

उनकी कक्षाओं के समय में ओवरलैपिंग न हो।

10.2 सभी शिक्षण संस्थान इस प्रकार से समय-सारणी (Time Table) तैयार करें जिससे कि विद्यार्थियों को अन्य संकाय के विषयों के चयन के अधिकतम विकल्प उपलब्ध हो सकें।

11. ग्रेडिंग प्रणाली-

11.1 शासनादेश संख्या-1032/सत्तर-3-2022-08 (35)/2020, दिनांक 20 अप्रैल, 2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार स्नातक स्तर पर ग्रेडिंग प्रणाली को संचालित किया जाय।

11.2 स्नातकोत्तर स्तर पर विश्वविद्यालय अपने स्तर पर इसी प्रकार की ग्रेडिंग प्रणाली विकसित कर सकते हैं।

12. सतत आंतरिक एवं विश्वविद्यालय द्वारा मूल्यांकन-

12.1 सतत आंतरिक मूल्योंकन का उद्देश्य केवल आंतरिक परीक्षा नहीं है, अपितु विद्यार्थी का सर्वांगीण मूल्यांकन करना है। एन0ई0पी0-2020 के अनुसार सभी विद्यार्थियों का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) कराया जाना है, जिसे शिक्षक, शिक्षण कार्य के साथ पूर्ण करेंगे।

12.2 मुख्य व माईनर विषयों के कैवल थ्योरी पेपर्स में 25 अंक का सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE)अनिवार्य होगा तथा विश्वविद्यालय द्वारा 75 अंको की परीक्षा करायी जायेगी। प्रयोगात्मक, वोकेशनल /स्किल, को-करीकुलर तथा शोध परियोजना के कोर्सेज में सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) आवश्यक नहीं है तथा विश्वविद्यालय द्वारा इन कोर्सेज की परीक्षा 100 अंको के आधार पर होगी। वोकेशनल/स्किल कोर्सज का मूल्यांकन पूर्व की भाँति शासनादेश संख्या-1969/सत्तर-3-2021, दिनाँक 18.08.2021 के अनुसार किया जायेगा।

12.3 सतत् आंतरिक मूल्यांकन(CIE) के लिए किसी भी प्रकार की केन्द्रीयत /विश्वविद्यालय स्तरीय मिड टर्म परीक्षायें आयोजित नहीं की जायेंगी।

12.4 शासनादेश संख्या-2058 /सत्तर-3-2021-08(33)/2020टी0सी0, दिनांक 26.08.2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार सतत् आंतरिक मूल्यांकन (CIE) प्रोजेक्ट (Project), सेमिनार (Seminar), रोल प्ले (Role Play), विवज (Quiz), पजल (Puzzle), टेस्ट (Test), प्रैक्टिकल (Practical), सर्व (Survey), बुक रिव्यू (Book review), स्टूडेंट पार्लियामेन्ट (Student parliament), स्क्रीनप्ले (Screen play) निबन्ध (Essay), एक्सटेम्पोर (Extempore), एक्जीबिशन (Extempore), फेयर (Fair)

1. विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत आदेशों का अनुपालन करते हुए महाविद्यालय में प्रवेश कार्य किया जायेगा।

(क) प्रथमतः महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा योग्यता क्रम सूची के आधार पर बिना प्रवेश परीक्षा के किये गये सभी प्रवेश विश्वविद्यालय की वेबसाइट ूण्बबेनूमइण्पद पर ऑनलाइन सम्पुष्ट होने आवश्यक होंगे । महाविद्यालय अपने स्तर पर समस्त प्रवेशित अभ्यर्थियों के पत्रजात, उचित अधिकारी द्वारा सत्यापित कराएंगे। सत्यापित प्रवेश ही मान्य होंगे। अभ्यर्थी द्वारा भरा गया विवरण सत्यापित न होने की दशा में किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

(ख) प्रवेश, अर्हता परीक्षा में कुल प्राप्तांक प्रतिशत तथा अन्य निर्धारित मानकों के आधार पर तैयार की गई ऑनलाइन योग्यताक्रम सूची के अनुसार अभिलेखों की उचित जाँच पड़ताल कर महाविद्यालयों /संस्थानों द्वारा किये जायेंगे। प्रवेशार्थ मान्य कुल स्थानों में से 21 प्रतिशत, 02 प्रतिशत और 27 प्रतिशत स्थान महाविद्यालयों / सस्थानों में और इसी प्रकार छात्रावासों में क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के नियमानुसार आरक्षित होंगे। शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत या अधिक विकलांग (दृष्टिविहीन/कम दृष्टि, श्रवण ह्रास/पालन निशक्तता, अंग-भंग आदि) हेतु कुल 4 प्रतिशत, स्वतन्त्रता सेनानियों के आश्रित 2 प्रतिशत और भूतपूर्व सैनिकों या उनके आश्रितों को 1 प्रतिशत स्थानों पर सम्बन्धित श्रेणियों में क्षैतिज आरक्षण उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर प्रदान किया जायेगा। यदि अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थी प्रवेश के लिये उपलब्ध नहीं हैं, तो उनके स्थान पर अनुसूचित जाति के अर्ह अभ्यर्थी को प्रवेश दिया जायेगा। छात्राओं को क्षैतिज आधार पर 20 प्रतिशत का आरक्षण प्रदान किया जायेगा। 10 प्रतिशत आरक्षण ई0डब्ल्यू0एस0 के लिए लागू होगा।

(ग) (i) प्रवेश परीक्षा विहीन प्रवेश हेतु अभ्यर्थियों को **www.ccsuweb.in** पर प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ कर लॉग-इन आईडी (पंजीकरण संख्या) प्राप्त करनी होगी। जो अभ्यर्थी के व्यक्तिगत विवरण पर आधारित होती है इस हेतु हाईस्कूल व इण्टरमीडिएट की अंकतालिका के विवरण, फोटो, निवास का पता, स्वयं का मोबाईल नम्बर, स्वयं का ई-मेल, होना आवश्यक है। तत्पश्चात् आवेदन पत्र में मांगे गये भारांक, शैक्षिक विवरण तथा वांछित पाठ्यक्रम व महाविद्यालय/संस्थान की वरीयता देना आवश्यक होगा। अन्त में आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त सम्पूर्ण आवेदन पत्र का भली-भाँति अवलोकन कर ऑनलाइन सम्मिट करना आवश्यक होगा। पंजीकरण संख्या तथा पासवर्ड अभ्यर्थी के दिये गये मोबाईल नं0 पर प्रेषित की जाती है। अपनी पंजीकरण संख्या व पासवर्ड को सुरक्षित रखना अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें। आवेदन पत्र को प्रिन्ट करके अभ्यर्थी स्वयं सुनिश्चित करें कि कोई त्रुटि शेष तो नहीं है, अन्यथा समयानुसार संशोधन नहीं करने पर अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा, इसमें विश्वविद्यालय का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। किसी अन्य के द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरवाने के कारण हुई त्रुटियों को समयानुसार पोर्टल पर संशोधन का विकल्प विश्वविद्यालय द्वारा दिये जाने देने पर अभ्यर्थी द्वारा शुद्ध कर लेना आवश्यक होगा। प्रवेश के समय संशोधन करना सम्भव नहीं होगा।

(ड) यदि प्रमाण पत्र उचित अधिकारी द्वारा प्रदत्त नहीं होगें, तो उस छात्रा का अभ्यर्थन सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी की भाँति माना जायेगा। पंजीकरण के समय उचित आरक्षण का दावा न करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् वांछित किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जायेगा। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी

अभ्यर्थी, जिसने प्रवेश आवश्यक योग्यता परीक्षा उत्तर प्रदेश राज्य से बाहर के किसी अन्य प्रदेश के बोर्ड/संस्थान से उत्तीर्ण की है, किन्तु उत्तर प्रदेश के निवासी के रूप में प्रवेश का दावा प्रस्तुत करता है, तो उसे सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं आरक्षण प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा वह अन्य प्रदेश की श्रेणी में माना जाएगा।

(च) अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों के प्रवेश स्नातक एवं स्नाकोत्तर पाठ्यक्रमों में निर्धारित सीटों का अधिकतम 25 प्रतिशत सीमा तक ही होंगे (व्यावसायिक पाठ्यक्रम में यह सीमा लागू नहीं होगी। परन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि अर्हता परीक्षा में उनकी योग्यता उत्तर प्रदेश के सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों से कम न हो। यदि कोई अभ्यर्थी, जोकि दूसरे राज्य का निवासी है, उत्तर प्रदेश के किसी महाविद्यालय/संस्थान से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करें, तब भी दूसरे राज्य की श्रेणी में ही रखा जायेगा।

(छ) (i) किसी भी सरकारी कर्मचारी एवं सार्वजनिक सेवा वाले कर्मचारियों की पुत्री का प्रवेश, उनके माता-पिता के स्थानान्तरण के कारण सम्बन्धित महाविद्यालय/संस्थान में स्थान होने पर माननीय कुलपति या उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी की पूर्व अनुमति से स्वीकार्य होगा। यदि अभ्यर्थी पंजीकृत हो तो, ऐसे स्थानान्तरण केवल प्रवेश की अन्तिम तिथि से एक माह के अन्तर्गत तक ही स्वीकार्य होंगे। किसी भी परिस्थिति में परीक्षा फार्म भरने के बाद स्थानान्तरण स्वीकार्य नहीं होगा।

(ii) इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध एक महाविद्यालय/संस्थान से दूसरे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण हेतु पूर्व महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्यों/निदेशकों के अनापत्ति पर द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में सीट उपलब्ध होने पर दूसरे (जिसे महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण चाहता है) महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या/निदेशक के द्वारा विवेकानुसार प्रवेश स्थानान्तरण स्वीकृत किया जा सकेगा। यह सुविधा एक ही जनपद में स्थित महाविद्यालयों/संस्थानों के अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं होगी।

(iii) किसी भी दशा में विद्यार्थियों का प्रथम वर्ष में स्थानान्तरण अनुमन्य नहीं होगा।

(iv) अन्य विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान में स्थानान्तरण प्रवेश हेतु महाविद्यालय /संस्थान के प्राचार्या से अनापत्ति लेकर महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित समस्त विषयों की आख्या सहित विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराकर विश्वविद्यालय से अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

(v) ऐसे अभ्यर्थी, जो प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से डी0पी0टी0, डिप्लोमा इन आर0डी0आई0टी0, 60 प्रतिशत अंकों से अधिक अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण हैं, वे रिक्त सीटों के सापेक्ष कुल सीटों के 10 प्रतिशत स्थानों पर बी0पी0टी0 व बी0आर0डी0आई0टी0 में लेटरल एन्ट्री द्वारा द्वितीय वर्ष के प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(vi) स्ववित्तपोषित महाविद्यालय/संस्थानों/पाठ्यक्रमों में प्रवेशित विद्यार्थियों का स्थानान्तरण अनुदानित महाविद्यालयों/पाठ्यक्रमों में नहीं किया जायेगा। व्यावसायिक महाविद्यालयों/संस्थानों/ पाठ्यक्रमों में स्थानान्तरण विश्वविद्यालय की पूर्व अनुमति, महाविद्यालयों सस्थानों की अनापत्ति व पृथक जनपद होने पर ही द्वितीय वर्ष या अधिक होने पर ही अनुमन्य होगा।

(ज) जिन अभ्यर्थियों ने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड, अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो। (जैसे: सी0बी0एस0ई0,आई0सी0एस0ई0 आदि), उनके स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिये मेरिट में इण्टरमीडिएट के सभी विषयों के प्राप्तांक जोड़े जायेंगे। स्नातक कक्षाओं में प्रवेश, बिना प्रवेश परीक्षा की स्थिति में, कुल सीटों की अधिकतम 50 प्रतिशत तक सीटें उन अभ्यर्थियों के द्वारा भरी जा सकती हैं।जिन्होंने इण्टरमीडिएट की परीक्षा यू0पी0 बोर्ड के अतिरिक्त अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण की हो।(जैसे: सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 आदि), किन्तु उनके सभी विषयों के योग्यता प्राप्तांक उ0प्र0 बोर्ड के सम्बंधित श्रेणियों के अभ्यर्थियों से कम नहीं होने चाहिए।

(झ) स्नातक/स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु अर्ह परीक्षा में चार वर्ष के अन्तराल से ज्यादा अन्तराल होने पर प्रयोगात्मक विषयों की डिग्री को छोड़कर प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा।

(त्र) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्होंने एम0ए0 की उपाधि प्राप्त कर ली है अथवा संस्थागत छात्रा के रूप में एम0ए0 में दो वर्ष का अध्ययन कर लिया है, उन्हें अन्य विषय में प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर एम0ए0 प्रथम में प्रवेश अनुमन्य नहीं होगा। यदि कोई विद्यार्थी किसी अन्य विषय में एम0ए0 करना चाहता है, तो वह प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर व्यक्तिगत परीक्षार्थी के साथ परीक्षा दे सकता है।

(ट) ऐसे विद्यार्थी प्रथम वर्ष की उपाधि पाठ्यक्रम में प्रवेश के अधिकारी नहीं होगें , जिन्होनें हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा, मान्यता प्राप्त समकक्ष बोर्ड या विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण नहीं की होगी।

(ठ) योग्य/पात्र अभ्यर्थियों को हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट एवं स्नातक परीक्षा (सम्बन्धित विषय सहित) मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण होनी चाहिए। तीन वर्ष से अधिक की स्नातक उपाधि अर्हता में उल्लिखित हो, तभी अनुमन्य होगी। विद्यार्थी प्रथम वर्ष में ऐसी स्नातकोत्तर परीक्षा के लिए योग्य/पात्र नहीं होंगे, जिन्होंने 10+2+3 पद्धति (पैटर्न) के अन्तर्गत स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की होगी।

विषय नोट :

मान्यता प्राप्त बोर्ड/(एन0आई0ओ0एस0 व ए0आई0यू0 पर उपलब्ध)/(यू0जी0सी0 व ए0आई0यू0 की वेबसाइट से उद्धृत)विश्वविद्यालय की सूची नियमावली के अन्त में दी गयी है।

2. ऐसे विद्यार्थी, जिन्होंने कोई भी परीक्षा अमान्य बोर्डो/विश्वविद्यालयों से उत्तीर्ण की है, इस विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के लिए अर्ह नहीं हैं। निम्नलिखित अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त यदि किसी ऐसे ही अमान्य बोर्ड एवं विश्वविद्यालय की जानकारी प्रवेश के समय या प्रवेश के पश्चात् संज्ञान में आती है, तो उनका कोई भी विद्यार्थी प्रवेश के लिये अर्ह नहीं होगा।

3. महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के समय एक सेक्शन में स्नातक स्तर पर सामान्यत: 60 अभ्यर्थियों के ही प्रवेश किए जायेगें। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में निर्गत शासनादेशों के आलोक में महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या यदि 1(शिक्षक) : 60(विद्यार्थी) अथवा 1(शिक्षक) : 80 (विद्यार्थी) के अनुपात में शिक्षक उपलब्ध है, तो प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ होने के पूर्व मान्य व अतिरिक्त 20 सीट प्रति सेक्शन के अनुपात में सीट संख्या के सापेक्ष प्रति विषय उपलब्ध अनुमोदित शिक्षकों की सूचना विश्वविद्यालय को देंगे, माननीय कुलपति जी द्वारा स्वीकृत के उपरान्त इन निर्धारित सीटों पर प्रवेश ऑनलाइन सम्पुष्ट किये जा सकते

हैं। प्राचार्यों को न तो निर्धारित संख्या से अधिक और न ही निर्धारित तिथि के उपरान्त प्रवेश करने का अधिकार होगा और यदि वे ऐसा करते हैं,तो उनके विरूद्ध शासनादेश में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप कार्यवाही की जा सकती है। निर्धारित सीमा से अधिक प्रवेश शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही से आच्छादित रहेंगे तथा इसके लिए प्राचार्य ही उत्तरदायी होंगे।

4. ''शासनादेश संख्या-2555/सत्तर-2-2007-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग- 2 दिनांक 25 जून, के अनुसार शैक्षिक सत्र 2007-08 के लिए स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश हेतु शैक्षिक सत्र 2006-07 में निर्गत शासनादेश संख्या-1678/ सत्तर-2-2006-2(166)/2003 दिनांक 23 मई, 2006 शासनादेश संख्या-1870/ सत्तर-2-2000-2(166)/2003 उच्च शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 07 जून, 2006 तथा शासनादेश संख्या-3371/सत्तर-2-2006-2 (166)/2003 दिनांक 21 अगस्त, 2006तथा शासनादेश संख्या-421/सत्तर-1-2015-16(20)/2011 दिनांक 22 मई, 2015 यथावत लागू माने जाएंगे।''

5. किसी भी अभ्यर्थी को प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम वाले स्नातक/स्नातकोत्तर विषय में (इन्टीग्रेटिड पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी, वह विषय इण्टरमीडिएट/स्नातक स्तर पर नहीं लिया है।
किसी भी अभ्यर्थी को बी0ए0 में तीन साहित्यिक विषय अथवा तीन प्रयोगात्मक विषय अनुमन्य नहीं हागें ।

Note :- In case of National Institute of Open Schooling, New Delhi the candidate must have passed Intermediate Examination with five subjects.

6. ऐसा विद्यार्थी, जिसकी उपस्थिति शैक्षिक सत्र के प्रत्येक पाठ्यक्रम में पूरी हो, किन्तु वह परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाता है या अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो विश्वविद्यालय परीक्षा हेतु उसे संस्थागत विद्यार्थी के तौर पर महाविद्यालय/संस्थान में पुनः प्रवेश नहीं दिया जायेगा। उसे सम्बन्धित परीक्षा एक पूर्व-विद्यार्थी (Ex-student) के रूप में ही उत्तीर्ण करनी होगी। ऐसे विद्यार्थी, जिसने विश्वविद्यालय परीक्षा का फार्म नहीं भरा होगा, उसे पूर्व विद्यार्थी के रूप में परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

7. अभ्यर्थियों द्वारा किसी भी तरह के भारांक का दावा करने पर वरीयता सूची को आँकने के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित भारांक (Weightage) दिए जायेंगे:-

(अ) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के (स्नातक/परास्नातक) छात्रों के लिए।

(ब) मेरिट प्रतिशत में 4 अकों का अधिभार, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय/सम्बद्ध कॉलेजों के शिक्षकों/कर्मचारियों के (पुत्री/ पत्नी) के लिए।

(स) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होनें परास्तानक विषय में प्रवेश हेतु सम्बन्धित विषय में स्नातक ऑनर्स के साथ उपाधि प्राप्त की हो।

(द) (i) मेरिट प्रतिशत में 3 अकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होनें NCC का "C" या "G-II" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, ऐसे अभ्यर्थियों के लिए, जिन्होंने NCC का "B" या "G-I" सर्टिफिकेट अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ प्राप्त किया हो।

अथवा

(iii)मेरिट प्रतिशत में 3 अकों का अधिभार,ऐसेअभ्यर्थियो ं के लिए, जिन्होनें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना (N.S.S.) के अन्तर्गत 240 घण्टों की सेवा की हो तथा 7/10 दिनों के 2 शिविरों में भाग लिया हो अथवा मेरिट प्रतिशत में 2अंकों का अधिभार उनके लिए, जिन्हानें अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ 240 घण्टों की सेवा तथा 7/10 दिनों का एक शिविर किया हो अथवा मेरिट प्रतिशात में एक अंक का अधिभार उनके लिए, जिन्हानें 240 घण्टों की सेवा की हो या 120 घण्टों की सेवा तथा ऐसा एक शिविर किया हो।

अथवा

स्काउटिंग में तथा रोवर/रेंजर्स गतिविधि में अर्हता कक्षा के दौरान भाग लेने वाले अभ्यर्थियों हेतु अधिभार निम्न प्रकार होगा-

(i) मेरिट प्रतिशत में 4 अंकों का अधिभार, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित होने पर।

अथवा

(ii) मेरिट प्रतिशत में 3 अंकों का अधिभार, राज्यपाल द्वारा सम्मानित होने/निपुण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iii) मेरिट प्रतिशत में 2 अंकों का अधिभार, तृतीय सोपान/गुरूपद/प्रवीण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

अथवा

(iv) मेरिट प्रतिशत में 1 अंक का अधिभार, द्वितीय सोपान/ध्रुवपद परीक्षा उत्तीर्ण करने पर।

8. प्रतिशत स्पोर्टस कोटा ऑनलाइन पंजीकृत छात्रों के उचित शारीरिक दक्षता परीक्षण के पश्चात् जी0ओ0 न0 एफ0.14-3/85 (सी0पी0), दिनांक: 24.04.1985 के क्रम में कुलपति जी के आदेश से सीट सीमा के अन्तर्गत प्रदान किया जा सकता है एवं ऐसे अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा देकर 5 प्रतिशात स्पोर्ट्स कोटा के स्थानों पर प्रवेश हेतु, पाठ्यक्रमवार (व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) अर्ह हो सकते हैं। किसी भी स्तर पर प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित अवधि में महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा समाप्त करनी आवश्यक होगी। जिन्होंने अर्हता कक्षा/डिग्री के साथ भारतीय विश्वविद्यालय संघ (A.I.U.) अथवा भारतीय ओलम्पिक संघ (I.O.A.) द्वारा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/प्रदेशीय/अन्तर्विश्वविद्यालयीय स्तर पर खेलों में भाग लिया हो अथवा SAI (Sports Authority of India) द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त प्रमाण-पत्र धारक हो।

नोट: (i) किसी भी स्थिति में अभ्यर्थी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 8 अकों तक का अधिभार ही देय होगा, (विश्वविद्यालय/महाविद्यालय कमर्चारी की पुत्री/पत्नी को मेरिट प्रतिशत में अधिकतम 12 अकों तक अधिभार दिया जा सकता है)

(ii) किसी अधिभार के आधार पर द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्रा, प्रथम श्रेणी छात्रा से और तृतीय श्रेणी प्राप्त छात्रा, द्वितीय श्रेणी प्राप्त छात्रा से उच्चतर प्राथमिकता प्राप्त नहीं कर सकेगा अर्थात् प्राथमिकता पर अधिभार अंकों का कोई प्रभाव नहीं होगा।

9. कोई भी विदेशी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा किसी पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश का पात्र नहीं होगा,जब तक कि सम्बन्धित जनपद के पुलिस अधीक्षक द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान न कर दिया जाये।

विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में विदेशी विद्यार्थी व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अर्ह नहीं माने जाएंगे।

10. इस विश्वविद्यालय में प्रवेश हेतु किसी अन्य मान्य विश्वविद्यालय से 10+2+3 या 11+1+3 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के बाद दो वर्षीय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष उत्तीर्ण कर चुका या 10+2 या 11+1 पैटर्न की परीक्षा पूर्ण करने के उपरान्त तीन वर्षीय/चार वर्षीय स्नातक उपाधि के पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष उत्तीर्ण कर चुका अभ्यर्थी क्रमशः द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश ले सकता है, प्रतिबन्ध यह होगा कि वह इस विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रम के समान दो वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष और तीन वर्षीय/चार वर्षीय पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष/द्वितीय वर्ष/तृतीय वर्ष के समतुल्य पाठ्यक्रम पढ़ चुका हो।

11. संगीत और चित्रकला में योग्यताक्रम के आधार पर प्रवेश हेतु निर्धारित विषयों में प्रवेश के लिए निम्न नियम अतिरिक्त होंगे–

(i) महाविद्यालय/संस्थान विषय के लिए निर्धारित सीटों से अधिक अभ्यर्थियों को प्रवेश नहीं देंगे।

(ii) एम0ए0 में प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता यथास्थिति बी0ए0 में उपर्युक्त वर्णित नियमों के अनुसार द्वितीय श्रेणी के साथ सम्बन्धित विषय में कम से कम 50 प्रतिशत अंक होने अपेक्षित हैं। उपर्युक्त वर्णित न्यूनतम योग्यता सीमाएँ एस0सी0/एस0टी0 के अभ्यर्थियों लिए मान्य नहीं होगी, उनके लिए उत्तीर्ण होना ही पर्याप्त होगा किन्तु प्रवेश योग्यता क्रमानुसार ही होंगें।

(iii) प्रस्तर (ii) पर दिये गये विषयों से अलग एम0ए0 के ऐसे विषय, जिनमें प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम नहीं हैं।

(iv) एम0ए0 (प्रयोगात्मक विषय) में प्रवेश के लिए चुने गये विषय का स्नातक स्तर पर मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है। सहायक (Subsidiary) विषय मान्य नहीं होगा। एम0ए0 प्रयोगात्मक विषयों में उपर्युक्तानुसार अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या स्वीकृत सीटों सें कम हाने की स्थिति में सहायक (Subsidiary) विषय मान्य होंगे।

(v) एम0ए0 के भाषा सम्बन्धी विषयों (अंग्रेजी, संस्कृत) में प्रवेश के लिये स्नातक स्तर पर वही विषय मुख्य विषय के रूप में होना आवश्यक है।

(vii) एम0ए0(अर्थशास्त्र) में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर पर बी0बी0ए0/बी0सी0ए0/बी0ए0(गणित)/बी0एस0सी0 (गणित)/बी0कॉम0 अथवा 10+2 में गणित उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी पात्र होगा, किन्तु इन अभ्यर्थियों की योग्यता सूची 5 प्रतिशत अकों की कटौती के पश्चात् जारी की जायेगी। बी0ए0 (अर्थशास्त्र) के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जायेगी।

(viii) एम0ए0 गैर प्रायोगिक विषय (शिक्षा शास्त्र) के प्रवेश हेतु ऐसे अभ्यर्थी जिन्होनें स्नातक स्तर पर सम्बन्धित विषय में परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, किन्तु अर्हता सूची के अनुसार अर्ह है, यदि प्रवेश हेतु आवेदन करता है, तो योग्यता सूची तैयार करते समय अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से 5 प्रतिशत अंकों की कटौती की जायेगी।

12. (i) बी0कॉम0 प्रथम वर्ष के प्रवशे हेतु योग्यता सूची तैयार करते समय उन अभ्यर्थियों को कोई अधिभार नहीं दिया जाएगा, जिन्होंने 10+2 कॉमर्स से उत्तीर्ण किया हो। बी0कॉम0 में प्रवेश के लिए मेरिट लिस्ट तैयार करते समय प्रवेश के लिए इण्टरमीडिएट की परीक्षा में प्राप्तांकों को आधार माना जायेगा।

(ii) बी0ए0 में प्रवेश लेने वाले ऐसे अभ्यर्थी के, जिसने इण्टरमीडिएट विज्ञान, वाणिज्य और विषय पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण किया है, अर्हता परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत में से (योग्यता की गणना के लिए) कोई अंक नहीं घटाया जायेगा।

(iii) इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0कॉम0, बी0ए0 में प्रवेश के लिए मेरिट में लिखित परीक्षा के दो तिहाई प्राप्तांक तथा प्रयोगात्मक विषयों के एक तिहाई प्राप्तांक जोड़े जायेंगे।

13. (i) विश्वविद्यालय परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग तथा गलत आचरण करने वाले किसी दोषी घोषित अभ्यर्थी को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

(ii) ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार हिस्ट्रीशीटर हो या नैतिक पतन के किसी अपराध अथवा किसी

अपराधिक मामले में सम्मिलित हो, विश्वविद्यालय के किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश नहीं दिया जायेगा और यदि प्रवेश दे दिया गया है, तो बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जायेगा।

(iii) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान के प्राचार्या/निदेशक को किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश या पुनः प्रवेश महाविद्यालय/संस्थान में अनुशासन बनाये रखने के हित में बिना कारण बताए निरस्त करने का अधिकार होगा।

(iv) किसी भी महाविद्यालय/संस्थान में किसी भी विद्यार्थी का प्रवेश नियमों के विरूद्ध होने पर अथवा गलत तथ्यों के आधार पर होने की स्थिति में माननीय कुलपति/प्राचार्या द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

(v) अनुशासन मण्डल के अनुसार रैगिंग करने या वातावरण को दूषित करने अथवा विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान के अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध दुर्व्यवहार का दोषी पाये गये, किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया जायेगा तथा उसका प्रवेश हो जाने पर भी बिना कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।

(vi) माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निम्न कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

"If any incident of ragging comes to the notice of the authority, the concerned student shall be given liberty to explain, and if his explanation is not found satisfactory, the authority would expel him from the institution."

14. इण्टरमीडिएट परीक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रम के साथ उत्तीर्ण करने की स्थिति में बी0ए0 (गृह विज्ञान) में प्रवेश के लिए अर्ह नहीं होंगे।

15. ऐसा अभ्यर्थी, जो किसी अन्य महाविद्यालय/संस्थान से सम्बन्धित द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है, इस विश्वविद्यालय में द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए स्वीकार्य नहीं होगा।

16. ऐसा अभ्यर्थी, जिसने स्नातक परीक्षा एकल वर्ष में 1998 के बाद उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय/ महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश के लिए योग्य नहीं माना जाएगा।

17. यदि किसी अभ्यर्थी ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण की है, तो उसे स्नातक स्तर पर एकल विषय में प्रविष्ट नहीं किया जायेगा।

18. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने उत्तर मध्यमा/शास्त्री परीक्षा, सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय में कृत) में प्रवेश लेने योग्य माना जायेगा।
19. ऐसे अभ्यर्थी, जिसने कोई भी परीक्षा हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज (इलाहाबाद) से उत्तीर्ण की है, विश्वविद्यालय एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान के किसी भी पाठ्यक्रम के अध्ययन के लिए प्रवेश लेने के योग्य नहीं माना जाएगा।
20. कोई भी अभ्यर्थी, जिसने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या स्नातक पाठ्यक्रम का प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष व्यक्तिगत अभ्यर्थी के रूप में उत्तीर्ण किया है, संस्थागत अभ्यर्थी के रूप में द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु अर्ह नहीं होगा।
21. कोई भी अभ्यर्थी स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए तकनीकी शिक्षा बोर्ड, यू0पी0 या अन्य किसी दूसरे बोर्ड से प्राप्त किसी डिप्लोमा के आधार पर योग्य नहीं समझा जायेगा। विश्वविद्यालय का कोई भी पूर्ववर्ती निर्णय ऐसे डिप्लोमा के बारे में निरस्त माना जायेगा।
22. कोई भी अभ्यर्थी किसी भी महाविद्यालय/संस्थान की परीक्षा में बैठने के लिए अनुमत नहीं होगा, जब तक वह अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण कर उस परीक्षा में बैठने योग्य न हो। महाविद्यालय/संस्थान अस्थायी प्रवेश के लिए अभ्यर्थी का परीक्षा फार्म बिना योग्यता परीक्षा का परिणाम जाने विश्वविद्यालय को प्रेषित नहीं करेगा।
23. कोई भी विद्यार्थी विश्वविद्यालय परीक्षा में तब तक नहीं बैठ पायेगा, जब तक वह परिनियमों में वर्णित न्यूनतम निर्धारित उपस्थिति पूरी न करता हो।
24. परीक्षा सुधार (पुनः परीक्षा) में बैठने योग्य अभ्यर्थी का उसी उपाधि की अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश स्वीकार्य होगा और वह परीक्षा सुधार परीक्षा के साथ अगले साल की परीक्षा देगा, यदि किसी कारण से अभ्यर्थी पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसका अस्थायी प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और उसे सभी विषयों में पूर्व विद्यार्थी के रूप में पुनः परीक्षा देनी होगी। स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश के समय स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है।
25. यदि कोई अभ्यर्थी कृपांक की सहायता से परीक्षा उत्तीर्ण करता है या उसकी श्रेणी सुधरती है तो वह नियमानुसार देय लाभ का अधिकारी होगा (किन्तु मेरिट सूची में इसका प्रभाव मान्य नहीं होगा)।
26. आरक्षित श्रेणी का कोई अभ्यर्थी यदि उच्चतर योग्यता के कारण सामान्य श्रेणी में प्रवेश के लिए चुन लिया जाता है, तो उस श्रेणी के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कम नहीं होगी और नियमों की अज्ञानता उसके उल्लंघन का बहाना नहीं माना जायेगा।
27. विश्वविद्यालय के परिनियम के अध्याय IV के प्रस्तर-4 के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को एक साथ दो पाठ्यक्रमों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि परिनियमों एवं अधिनियमों में ऐसा प्रावधान न हो ।
28. प्रवेश के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत आदेशों का पालन किया जायेगा।
29. स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के नियम विश्वविद्यालय परिसर तथा महाविद्यालयों / संस्थानों में एक समान पाठ्यक्रमों के लिए समान होंगे।
30. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में प्रवेश समिति का निर्णय अन्तिम माना जायेगा।

31. किसी भी गैर प्रायोगिक विषय में स्नातक अथवा परास्नातक स्तर पर प्रवेश के लिये अर्हता उपाधि से चार वर्ष से अधिक का अन्तराल अनुमत नहीं होगा।

32. यदि अभ्यर्थी उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय/संस्थान की योग्यता सूची में नाम आने पर प्रवेश हेतु दिये गये समय के अन्तर्गत पत्रजातों सहित प्रस्तुत होकर प्रवेश सम्पुष्ट कराने में असमर्थ रहते हैं, तो उन्हें रिक्त सीट शेष रहने की स्थिति में ही उस महाविद्यालय/संस्थान अथवा अन्य (जिसका चयन उन्होंने प्रवेश आवेदन भरते समय नहीं किया हो) महाविद्यालय/संस्थान में प्रवेश अन्तिम चरण में दिया जा सकता है। यदि प्रवेश सम्पुष्ट न होने का आधार उनके पत्रजातों का सत्यापित न हो पाना है, तो उनमें त्रुटि संशोधन के पश्चात् उनका नाम पुनः योग्यता सूची में आ सकता है। किसी भी तरह की त्रुटि के संशोधन के लिए एक से अधिक बार आवेदन स्वीकार्य नहीं होगें।

33. समय-समय पर विश्वविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा लिये गये निर्णय प्रवेश की वेबसाईट पर प्रदर्शित किये जायेंगे जो मान्य होगें। शुल्क क्षतिपूर्ति के सभी नियम शासनादेशों से ही अच्छादित रहेंगे व समाज कल्याण विभाग की छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित नहीं होंगे ।

34. छात्रों का प्रवेश वरीयता क्रम में आरक्षण नियम आदि के अनुसार सॉफ्टवेयर द्वारा प्रदर्शित व महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रवेशित होगा, यदि दो अभ्यर्थियों का मेरिट इन्डेक्स समान होगा, तो इनके अर्हता कक्षा के अंक (अधिक) के आधार पर वह भी समान हो तो, अर्हता कक्षा से पूर्व (यथा स्नातक प्रवेश हेतु 10वीं बोर्ड) के अंक देखे जायेंगे, यहि वह भी समान हों, तो जन्मतिथि (अधिक आयु) के आधार पर व अन्ततः A, B, C, D प्रारम्भिक नामाक्षर के आधार पर वरीयता क्रम निर्धारित किया जायेगा।

35. अमान्य बोर्ड व विश्वविद्यालय की जानकारी यू0जी0सी0/आई0जी0एन0ओ0यू0 तथा एन0आई0ओ0एस0 की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

महाविद्यालय के प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियम

1. प्रथम वर्ष अथवा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को सर्वप्रथम विश्वविद्यालय निर्देशानुसार विश्वविद्यालय में ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा । उसके बाद ही महाविद्यालय में पंजीकरण होगा ।
2. महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली हर छात्रा को महाविद्यालय विवरणिका की एक प्रति खरीदना आवश्यक है ।
3. (अ) प्रवेश फार्म के साथ पिछली परीक्षा की मार्कशीट की प्रतिलिपि , योग्यता सूची में अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने लिए प्रमाण पत्रों की प्रतिलिपियाँ तथा अनुसूचित जाति /जनजाति , पिछड़े वर्ग एवं विकलांग छात्राओं को आवश्यक प्रमाण -पत्र की प्रतिलिपि लगानी होगी ।

   (आ) प्रवजन प्रमाण-पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) की प्रतिलिपि केवल उन छात्राओं के लिए है जो किसी अन्य विश्वविद्यालय से आयी हैं । मूल प्रमाण-पत्र बाद में विश्वविद्यालय परीक्षा फार्म के साथ लगाना होगा ।

   (इ) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग छात्राओं के लिए वांछित प्रमाण - पत्र लगाना आवश्यक है ।

   (ई) व्यक्तिगत छात्राओं को प्रवेश के समय अन्तिम संस्था , जिसमें उन्होंने संस्थागत छात्रा के रूप में अंतिम परीक्षा पास की है ,के प्रधानाचार्य से लिया गया चरित्र प्रमाण पत्र और टी . सी . जमा कराने होंगे ।
4. सभी प्रवेश शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित नीति व नियमों के अनुसार किये जायेंगे ।
5. प्रवेश योग्यता सूची के अनुसार- बी.ए. , बी.कॉम. प्रथम वर्ष तथा एम.ए. प्रथम वर्ष की प्रवेश समिति के द्वारा होगा । समिति द्वारा छात्राओं की योग्यता सूची सूचनापट्ट पर लगायी जायेगी। योग्यता सूची में स्थान पाने वाली छात्राएं आदेश प्राप्त कर निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रवेश के लिए आवश्यक शुल्क जमा कर प्रवेश करा लें । निर्धारित अंतिम तिथि तक शुल्क जमा न कराये जाने की स्थिति में प्रवेश आदेश रद्द मान लिया जायेगा और उनके स्थान पर सूची में सम्मिलित अगले क्रम वाली छात्राओं को प्रवेश दे दिया जायेगा ।
6. बी.ए. , बी.कॉम द्वितीय एवं तृतीय वर्ष तथा एम.ए. द्वितीय वर्ष की छात्राएं परिणाम घोषित होने के एक सप्ताह के अन्दर प्रवेश फार्म के साथ निश्चित शुल्क का ड्राफ्ट तैयार कराकर प्रवेश समिति द्वारा अनुमति प्राप्त कर कार्यालय में जमा करा कर , अस्थायी प्रवेश ले सकती हैं । प्रवेश फार्म पर प्रवेश समिति के संयोजिका या सदस्या के हस्ताक्षर आवश्यक हैं ।
7. प्रवेश का समय प्रवेश पत्रों का निरीक्षण तथा आदेश का समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक तथा शुल्क जमा करने का समय प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा ।
8. गैर कॉमर्स छात्राओं को बी. कॉम . में प्रवेश की रिक्त स्थान उपलब्धता के अनुसार ही दिया जायेगा ।
9. प्रवेश की अन्तिम तिथि (विलम्ब दण्ड सहित वाली) के बाद कोई प्रवेश नहीं किया जायेगा । यदि किसी कक्षा में प्रवेश की अंतिम तिथि तक भी सारे स्थान नहीं भरते हैं तो उसके बाद प्राचार्य की अनुमति से विलम्ब शुल्क के साथ प्रवेश किया जा सकता है ।

10. विषयों के चयन के सम्बन्ध में छात्रा प्रवेश समिति के सदस्यों से सलाह भी ले सकती हैं । प्रवेश के पश्चात् सामान्यत: विषयों में परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।
11. यदि किसी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए कोई छात्रा जो पूर्व वर्षों में महाविद्यालय या विश्वविद्यालय की छात्रा रही , पास करने के एक या अधिक वर्ष के बाद प्रवेश लेने आये तो उसे प्राचार्या अथवा चीफ प्रोक्टर की विशेष आज्ञा के बिना प्रवेश नहीं दिया जायेगा । यदि किसी कारण से अथवा कार्यालय की गलती से कक्षा में ऐसा कोई प्रवेश हो जाये तो प्राचार्या को उसे रद्द करने का अधिकार होगा , जिसकी उत्तरदायी छात्रा स्वयं होगी ।
12. प्रवेश योग्यता के आधार पर किया जायेगा । शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रमश: 21 प्रतिशत, 2 प्रतिशत, 27 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे। यदि ऐसे अभ्यर्थी प्रवेश की अन्तिम तिथि से निर्धारित समय तक प्रवेश नहीं लेते हैं तो उनके स्थान अनारक्षित घोषित कर दिये जायेंगे । विकलांग छात्राओं को सी.एम.ओ. का प्रमाण-पत्र देना होगा । विकलांग छात्राओं के सभी विवादित मामले एल.एल.आर.एम. मेडिकल कॉलिज , मेरठ के मेडिकल बोर्ड को भेजे जायेंगे ।
13. किसी परीक्षा के उत्तरार्द्ध में किसी अन्य महाविद्यालय से पूर्वार्द्ध कक्षा पास हुई छात्रा को तभी प्रवेश दिया जा सकता है जब इस महाविद्यालय से पूर्वार्द्ध पास करने वाले छात्राओं को प्रवेश देने के बाद स्थान खाली रह जायें और नियमों के अन्तर्गत हो।
14 यदि कोई छात्रा आवश्यक उपस्थिति पूरी कर ले परन्तु परीक्षा में न बैठ सके या अनुतीर्ण हो जाये तो उसे प्रवेश नहीं दिया जायेगा । वह भूतपूर्व छात्रा के रूप में परीक्षा दे सकती है ।
15 किसी छात्रा की उस विषय में जिसमें प्रयोगात्मक परीक्षा होती है स्नातकोत्तर उपाधि के लिए तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा तब तक कि वह स्नातक कक्षा की परीक्षा उस प्रयोगात्मक विषय को लेकर पास न कर ले ।
16. यदि दो या अधिक छात्राओं के अंक बराबर बैठते हैं तो योग्यता सूची में उनका स्थान पूर्व परीक्षा में उन विषयों में प्राप्त अंकों के आधार पर होगा।
17. यदि किसी छात्रा ने किसी अन्य विश्वविद्यालय से द्विवर्षीय स्नातक या स्नातकोत्तर कक्षा की प्रथम वर्षीय परीक्षा त्रिवर्षीय स्नातक कक्षा को पहले दो वर्षो की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है तो उसे द्वितीय या तृतीय वर्ष में तभी प्रवेश दिया जा सकता है जबकि उस विश्वविद्यालय की उपाधि को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने मान्यता दे रखी हो ।
18. किसी भी छात्रा को बिना कारण बताये ही किसी कक्षा में प्रवेश के लिए प्राचार्या द्वारा मना किया जा सकता है ।
19. सभी कक्षाओं में आरम्भिक प्रवेश अस्थायी माने जायेंगे । प्रमाण-पत्रों , अंक तालिकाओं या अन्य संलग्न प्रपत्रों में किसी भी प्रकार की त्रुटि पाये जाने अथवा विश्वविद्यालय द्वारा आपत्ति किये जाने पर प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा , जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्रा का होगा ।
20. कला तथा वाणिज्य दोनों संकायों के लिए शिक्षण समय-सारणी कॉलिज आवश्यकताओं और अन्य अनेक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती है । छात्राओं की सुविधा के अनुसार समय-सारणी में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
21. ऐसी छात्राओं की संख्या जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश , प्रयागराज को छोड़कर अन्य परिषदों से

कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है , उनकी संख्या निर्धारित संख्या के 30 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी ।

22. प्रवेश देते समय विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित नियमों का पूर्णतया पालन किया जायेगा ।

विशेष : अनुसूचित जाति के छात्र /छात्राओं को जो कि छात्रवृत्ति के पात्र है उन्हें छात्रवृत्ति फार्म पूर्ण करके प्रवेश के समय ही जमा कराना आवश्यक है।

विशेष सूचना

1. शासन एवं वश्वविद्यालय के निर्देशानुसार 75 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले विद्यार्थियों को परीक्षा से रोक दिया जायेगा । इसलिए विद्यार्थियों का प्रतिदिन कक्षा में उपस्थित रहना अनिवार्य है ।
2. प्रवेश के लिए पंजीकरण करा लेने के बाद, प्रवेश देने के लिए महाविद्यालय की बाध्यता नहीं होगी ।
3. प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश योग्य पात्रता रखने वाली छात्राओं की योग्यता - सूची (मेरिट लिस्ट) निर्गत होने के बाद छात्राएं यह सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम सूची में है । तभी वह प्रवेश शुल्क आदि ड्राफ्ट प्रवेश के निर्धारित अवधि के अन्तर्गत प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत करें। पंजीकरण की रसीद अवश्य साथ लायें ।
4. विश्वविद्यालय परीक्षा शुल्क तथा नामांकन शुल्क (विश्वविद्यालय में प्रथम प्रवेश लेने वाले विद्यार्थी को) प्रवेश लेते समय देने होंगे । नामाकंन शुल्क केवल एक बार देना होगा ।
5. प्रवेश लेते समय सभी वार्षिक शुल्क और प्रतिभूतियाँ जमा कराने आवश्यक है ।
6. यदि कोई छात्रा अपना प्रवेश निरस्त कराती है तो उसका केवल परीक्षा शुल्क (यदि वह धन विश्वविद्यालय नहीं भ ा ज ा गया है) एवं प्रतिभूति धन ही वापिस किया जायेगा ।
7. प्रवेश लेते समय जमा होने वाली समस्त प्रतिभूतियाँ प्रत्येक वर्ष के दिसम्बर , जनवरी माह में ही वापिस की जायेंगी। प्रतिभूति निकालते समय प्रतिभूति की रसीद प्रार्थना पत्र के साथ अवश्य लगायें ।
8. विद्यार्थी कोई भी धन शुल्क कार्यालय अथवा महाविद्यालय प्रशासन द्वारा निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य कहीं जमा न करें और जो धन कार्यालय में जमा करें उसकी रसीद अवश्य लें।

महाविद्यालय के महत्वपूर्ण अन्य नियम

अनुशासन सम्बन्धी नियम

महाविद्यालय छात्राओं को शिक्षा के साथ-साथ संस्कारित भी करता है। अध्यापन कार्य सुचारु रुप से चले, इसके लिए अनुशासन संबंधी नियम बनाए गए हैं।

1. किसी भी छात्रा को महाविद्यालय परिसर में मोबाईल लाने की अनुमति नहीं है।
2. महाविद्यालय में रैगिंग पूरी तरह प्रतिबंधित है। यदि कोई भी छात्रा रैगिंग करते पायी जाती है तो उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली
के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी।

3. महाविद्यालय की सभी छात्राओं के लिए प्रवेश के बाद अधिकतम 1 माह के अन्दर अपना परिचय-पत्र पूर्ण कराना अनिवार्य है। यदि इस अवधि में परिचय-पत्र पूर्ण नहीं होता है तो अगले 10 दिन तक उस पर रु0 100/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा इसके पश्चात् अगले 10 दिनों तक रु0 200/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। प्रवेश के एक माह के बाद अगले 10 दिन तक 500/- का अर्थदण्ड लगाया जायेगा। इस अवधि के बाद भी यदि परिचय-पत्र पूर्ण नहीं होता है तो उन छात्राओं का प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
4. परिचय-पत्र खो जाने की स्थिति में छात्रा को पुलिस में रिपोर्ट की कापी तथा तत्सम्बन्धित नोटरी का शपथ-पत्र उपलब्ध कराना होगा तभी उसे द्वितीय परिचय-पत्र जारी किया जा सकेगा।
5. परिचय पत्र और प्रार्थना पत्र के लिए पासपोर्ट साइज के तीन फोटो की आवश्यकता होगी। परीक्षा फार्म भरने के लिए भी कुछ फोटो चाहिए। अत: एक साथ ही 6 फोटो बनवा लें।
6. फोटो में चेहरे के दोनों पार्श्व दिखाई देने चाहिए । फोटो के नीचे का सफेद भाग चीफ प्रोक्टर के हस्ताक्षर के लिएखालीछोड़ देना चाहिए । छात्राएं अपने हस्ताक्षर फोटो पर न करें, नीचे नियत स्थान पर करें ।
7. छात्राएं बरामदे में न घूमें और कक्षाओं के सामने से गुजरते समय बात न करें, क्योंकि ऐसा करने से कक्षा में अध्ययन और अध्यापन में विघ्न पड़ता है। नियम का पालन न करने की स्थिति में अनुशासनिक कार्यवाही की जाएगी ।
8. महाविद्यालय परिसर में लगे पेड़-पौधों को नुकसान पहुँचाना दीवारों व कक्षाओं को गन्दा करना या उन पर कुछ लिखना दण्डनीय है ।
9. अपने सहपाठियों , प्राध्यापिकाओं तथा अन्य कर्मचारियों के साथ सम्मानपूर्ण व्यवहार करें ।
10. यदि किसी छात्रा को किसी कारण से महाविद्यालय से निलम्बित किया गया है तो उसके निलम्बन की समाप्ति उसके द्वारा नोटरी का शपथ-पत्र व माफीनामा देने पर ही की जायेगी । नोटरी का शपथ-पत्र न देने की स्थिति में उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
11. किसी भी नियम की अवहेलना दण्डनीय है ।
12. प्रतिदिन छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड (यूनिफॉर्म) में आना अनिवार्य है। स्नातक हेतु सफेद सलवार कुर्ता एवं मैरून दुपट्टा, स्नातकोत्तर हेतु सफेद सलवार कुर्ता एवं सफेद दुपट्टा तथा शीत ऋतु में मैरून कोट अथवा कार्डिगन निर्धारित ड्रेस कोड है।
13. प्राचार्य कक्ष के सामने घूमना, बैठना, खड़े होकर बातचीत करना अथवा बिना अनुमति के प्राचार्या कक्ष में प्रवेश करना मना है।
14. छात्राऐं अपने निर्धारित प्रसाधन कक्ष का ही प्रयोग करें। शिक्षिकाओं के प्रसाधन कक्ष का नहीं ।

15. खाली समय में छात्राएं पुस्तकालय तथा उनके लिए निर्धारित स्थानों का ही प्रयोग करें।
16. अवकाश दिवस पर छात्राओं को महाविद्यालय में आना मना है। महाविद्यालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर वे महाविद्यालय आ सकती हैं।
17. अध्यापन कार्य दिवस पर छात्राएं निर्धारित समय पर ही विद्यालय से बाहर जा सकती हैं।
18. महाविद्यालय द्वारा जारी पहचान पत्र छात्राएं अवश्य लेकर आएं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर प्रस्तुत किया जा सके।

सामान्य व्यवहार सम्बन्धी निर्देश

1. इस विवरणिका में दिये गये प्रत्येक नियम को ध्यानपूर्वक पढ़े तथा तत्सम्बन्धी नियमों का पालन करना सुनिश्चित करें।
2. यह महाविद्यालय हापुड़ नगर की सबसे बड़ी कन्या शिक्षण संस्था है। इसकी छात्रा होने पर आपसे अपेक्षा की जाती है कि इसके सम्मान की रक्षा के लिए महाविद्यालय में तथा महाविद्यालय के बाहर भी आप शोभनीय व्यवहार करेंगी। शिक्षा-जगत में इस संस्था को अत्यधिक सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। यहाँ से शिक्षा प्राप्त करके छात्राएं ऊँचे पदों पर पहुँचती हैं। अत: ज्ञानार्जन के क्षेत्र में परिश्रम के सहारे आगे जाने की ओर सदैव प्रयत्नशील रहें।
3. महाविद्यालय में सूचनापट्ट प्रतिदिन देखें। महत्वपूर्ण सूचनाएं छात्रों के जीवन में परिवर्तन ला देती हैं।
4. महाविद्यालय के सुचारू संचालन तथा इसे श्रेष्ठतम बनाने में अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें।
5. अपना आचरण और व्यवहार शुद्ध एवं निष्कलंक रखें। यदि कोई छात्रा आचार, व्यवहार और भद्रता के नियमों का उल्लंघन करते पायी गयी तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।
6. परीक्षा में बैठने के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
7. पुस्तकालय के वाचनालय कक्ष में अधिक से अधिक समय अध्ययन में लगायें। पुस्तकालय में बहुत सी पुस्तकें ऐसी हैं जो अब बाजार में उपलब्ध नहीं है अत: पुस्तकों पर किसी भी तरह का निशान न लगायें। किसी पन्ने को मोड़ना या फाड़ना तो जघन्य कार्य है। यदि कोई छात्रा ऐसा करे तो उसकी शिकायत पुस्तकालयाध्यक्ष से करें, पुस्तकें हम सबकी ही नहीं अपितु हमारी भावी पीढ़ी की भी सम्पत्ति हैं और हममें से किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि उन्हें पुस्तकें प्राप्त करने से वंचित कर दें।
8. शारीरिक शिक्षा एवं खेलों से सम्बन्धित कार्य-कलापों में भाग लिए बिना शिक्षा एकपक्षीय रह जाती है। महाविद्यालय में उपलब्ध खेलों की सुविधाओं का अधिक से अधिक लाभ उठायें।
9. ऐसी छात्राऐं जिन्हें विश्वविद्यालय में व्यक्तिगत रूप से जाकर अपने महाविद्यालयी शिक्षा सम्बंधी कुछ कार्य जैसे

अंकतालिका।

परिचय पत्र

प्रवेश-पत्र, डिग्री आदि लेनी है , वे सीधे ही रजिस्ट्रार के पास न जाकर अपने प्रार्थना-पत्र पर, प्राचार्य अथवा उनके द्वारा इस उद्देश्य के लिए
नामित प्राध्यापिका से अग्रसारित कराकर ही विश्वविद्यालय जायें ।
प्रवेश के समय सभी छात्राओं को महाविद्यालय द्वारा परिचय-पत्र दिया जाएगा। प्रत्येक छात्रा को पासपोर्ट साइज (सामने से खींचा) फोटो परिचय-पत्र पर लगाकर अपने चीफ-प्रोक्टर का हस्ताक्षर कराना अनिवार्य है। प्रत्येक छात्रा को परिचय-पत्र हर समय अपने पास रखना अनिवार्य है। परिचय-पत्र खो जाने पर दूसरा परिचय-पत्र आवश्यक शुल्क जमा करके कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। परिचय-पत्र का फोटो महाविद्यालय की निर्धारित यूनिफॉर्म में होना अनिवार्य है।

उपस्थिति

1. कोई छात्रा उस समय तक किसी भी विश्वविद्यालय परीक्षा में नहीं बैठ सकेगी जब तक कि उस विषय में लिखित तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं में अलग-अलग उसकी 75% उपस्थिति न हो।
2. उपस्थिति में 5% की छूट प्राचार्य महोदया तथा विशेष परिस्थिति में 10% की छूट कुलपति महोदय दे सकते हैं।
3. उपस्थिति की गणना महाविद्यालय में शिक्षण प्रारंभ होने की तिथि से होगी। चाहे प्रवेश किसी भी तिथि को दिया गया हो।
4. विषय परिवर्तन की स्थिति में पूर्व विषयों की उपस्थिति के बाद परिवर्तित विषय या विषयों को उपस्थिति में नहीं जोड़ा जाएगा।
5. यदि कोई छात्रा लगातार 10 दिन तक कक्षा में अनुपस्थित रहेगी तो उसका नाम महाविद्यालय की नामावली से काट दिया जाएगा।
6. प्रत्येक माह छात्रा की उपस्थिति विश्वविद्यालय तथा क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी के यहां भेजी जाएगी।

पुस्तकालय के नियम

1. पुस्तकालय से पुस्तक प्राप्त करने के लिए प्रत्येक छात्रा को पुस्तकालय कार्ड दिए जाएंगे। यह कार्ड पुस्तकालय से निश्चित अवधि तक ही प्राप्त किए जा सकते हैं।
2. एक पुस्तकालय कार्ड पर केवल एक ही पुस्तक दी जाएगी। पुस्तक कार्ड धारक को ही दी जाएगी अन्य छात्रा व परिचितों को नहीं।
3. पुस्तक प्राप्त करने के लिए छात्रा को निर्धारित काउंटर पर पर्ची देनी होगी , जिसमें पुस्तक का नाम व लेखक का नाम लिखना होगा। यदि पुस्तक उपलब्ध है। तो अगले कार्य दिवस में दे दी जाएगी।
4. पुस्तक प्राप्त करने के लिए पुस्तकालय कार्ड के साथ परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
5. पुस्तक केवल 14 दिन के लिए ही दी जाएगी । पुस्तकों को निर्धारित तिथि पर लौटाना होगा।
6. पुस्तक प्राप्त करते समय छात्रा का यह कर्तव्य है कि पुस्तक को अच्छी तरह देख ले कि पुस्तक अच्छी अवस्था में है। पृष्ठ कटे-फटे तो नहीं हैं, जमा करते समय पुस्तक में कोई कमी पाई गई तो उसका उत्तरदायित्व छात्रा का ही होगा।
7. छात्राओं को केवल उसी विषय की पुस्तक दी जाएगी जिन विषयों में वे अध्ययनरत हैं।
8. यदि पुस्तकालय अध्यक्षा सहमत हैं कि किसी छात्रा का निश्चित अवधि के बाद दूसरा कार्ड बनाया जाए तभी उसका दूसरा कार्ड बनेगा।
9. पुस्तकालय कार्ड खो जाने अथवा किसी अन्य छात्रा द्वारा कार्ड पर पुस्तक निकलवा लिए जाने पर भी दायित्व उसी छात्रा का होगा जिसका कार्ड पर नाम अंकित है।
10. छात्राओं को पुस्तक एवं पुस्तकालय कार्ड परीक्षा आरंभ होने के एक सप्ताह पूर्व निश्चित रूप से जमा करना होगा।
11. पुस्तकालय की पुस्तक होने चोरी होने अथवा फटने की स्थिति में छात्रा को 3 गुना मूल्य जमा करना होगा अथवा पुस्तक का नवीन संस्करण पुस्तकालय में जमा कराना होगा।

सत्र 2024-25 में सामान्य जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक /अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति संबंधित नियम

दशमोत्तर कक्षाओं के सत्र 2024-25 के नवीन (Fresh) एवं नवीनीकरण के अवशेष (Renewal) छात्र/छात्राओं हेतु-

1. सर्वप्रथम छात्रवृत्ति का आवेदन करने वाली छात्राओं को समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अधिकृत वेबसाईट पर ऑनलाइन आवेदन करना है ।
2. ऑनलाइन आवेदन के पश्चात महाविद्यालय के छात्रवृत्ति सम्बन्धित लिपिक से आवेदन पत्र की जाँच करवानी है कि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि तो नहीं है यदि ऑनलाइन आवेदन करने में कोई त्रुटि हुई है तो समाज कल्याण विभाग , उत्तर प्रदेश शासन की अधिकृत वेबसाईट पर त्रुटि केवल आगामी तीन दिवसों में ठीक की जा सकती है ।
3. छात्रा छात्रवृत्ति का फाईनल प्रिन्ट निकलवाकर अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्रों सहित महाविद्यालय छात्रवृत्ति समिति के समक्ष प्रस्तुत होकर मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करवाकर छात्रवृत्ति लिपिक से महाविद्यालय छात्रवृत्ति फार्म प्राप्त करना है व उसे पूर्ण करके अपने-अपने विषयों के सम्बन्धित प्राध्यापिका से उपस्थिति का प्रतिशत प्राप्त करके उस फार्म को फाईनल प्रिन्ट के साथ अपने समस्त प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति संलग्न करके सम्बन्धित लिपिक के पास जमा करायेंगी ।
4. छात्रवृत्ति का ऑनलाइन आवेदन पत्र दो प्रतियों में महाविद्यालय में जमा करना है । (एक सेट महाविद्यालय में जमा करना है व एक सेट छात्रा को अपने पास सुरक्षित रखना है।)
5. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्न वांछित प्रमाण - पत्र संलग्न करने है -

(A) हाईस्कूल अंकतालिका की छायाप्रति ।
(B) इन्टरमीडिएट अंकतालिका की छायाप्रति ।
(C) स्नातक द्वितीय व तृतीय वर्ष की छात्राओं के लिए गत वर्ष की अंकतालिका की छायाप्रति । (पूर्व के वर्ष की केवल उत्तीर्ण अंकतालिका होनी चाहिए भूतपूर्व / बैक पेपर की छात्रा छात्रवृत्ति का फार्म भरने के पात्र नहीं होंगे ।)
(D) परास्नातक कक्षा की छात्राओं को स्नातक की तीनो वर्षो की अंकतालिका की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
(E) शासन के आदेशानुसार आय प्रमाण-पत्र 2,00,000 /- तक का ही मान्य होगा जिनके अभिभावकों की आय 2,00,000/- से अधिक है ऐसी छात्राएं छात्रवृत्ति का फार्म भरने की पात्र नही होंगी ।
(F) जाति प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
(G) आधार कार्ड की छायाप्रति (आधार कार्ड ,बैंक खाता संख्या व मोबाईल नम्बर से लिंक होना अनिवार्य है ।)
(H) मूल निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति ।
(I) बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक व जनपद हापुड़ का ही होना आवश्यक है ।
(J) महाविद्यालय से प्राप्त प्रवेश शुल्क रसीद की छायाप्रति ।
(K) बैंक पास बुक की छायाप्रति ।
(L) दो शपथ-पत्र (एक शपथ-पत्र स्वयं छात्रा द्वारा कि मेरे द्वारा छात्रवृत्ति के आवेदन में कोई भी सूचना छिपायी नहीं गयी है व सभी वांछित संलग्न सत्य है व एक माता-पिता का होना अनिवार्य है, माता-पिता द्वारा दिये गये शपथ-पत्र में यह घोषणा करनी अनिवार्य है कि वे किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं है ।
(M) वार्षिक परीक्षाफल अथवा सेमेस्टर होने की दशा में दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल जारी /उत्तीर्ण / प्रोन्नत (Promoted with marks / Promoted without marks) होने पर ही छात्रा अपने पूर्व आवेदन पत्र का नवीनीकरण कर सकेंगी ।

(N) छात्रा द्वारा वार्षिक परीक्षाफल /दोनों सेमेस्टर का परीक्षाफल न निकलने की दशा में **Result Not Yet Declared** विकल्प चुनते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा ऐसी सभी छात्राओं का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में रखा जायेगा ।

(O) जिन छात्राओं के छात्रवृत्ति फार्म में किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी सन्देहास्पद श्रेणी में आने वाली छात्राओं की एक सूची महाविद्यालय नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी ऐसी छात्राओं को अपने वांछित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रति पुनः महाविद्यालय में जमा करानी होगी ।

विशेष नोट केवल अल्पसंख्यक छात्राओं के लिए : -

यदि अल्पसंख्यक छात्राएं भारत सरकार की अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजना में आवेदन करती हैं तो ऐसी छात्राएं उत्तर प्रदेश शासन की दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में आवेदन नहीं कर पायेंगी तथा उन्हें अपने शपथ-पत्र में स्पष्ट उल्लेख करना होगा कि वह किसी अन्य योजना का लाभ नहीं ले रही हैं व उनके द्वारा किसी अन्य योजना में आवेदन नहीं किया गया है ।

1. अनुसूचित जाति की छात्राओं को छात्रवृत्ति फार्म के साथ पूर्ण रूप से भरकर जमा कराना आवश्यक है ताकि छात्रवृत्ति फार्म समय से समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित किया जा सके छात्रवृत्ति फार्म दो प्रतियों में भरकर जमा कराना आवश्यक है। फार्म के साथ आय प्रमाण-पत्र मूल रूप में जाति प्रमाण-पत्र, अंक पत्र की फोटो कॉपी तथा बैंक की पास बुक की फोटो कॉपी जिससे बैंक खाता संख्या ज्ञात हो लगानी आवश्यक है। केवल उत्तीर्ण छात्रायें ही छात्रवृत्ति का फार्म भरने हेतु योग्य हैं। छात्रवृत्ति का खाता हापुड़ की किसी भी सी0बी0एस0 बैंक शाखा में होना आवश्यक है।

नोटः- छात्राओं के आधार कार्ड में नाम, पिता का नाम, माता का नाम , जन्मतिथि, व लिंग हाईस्कूल की अंकतालिका के अनुसार ही होने चाहिए किसी भी प्रकार की भिन्नता पाये जाने पर छात्रवृत्ति का फार्म स्वीकार्य नहीं होगा ।

पी-एच0डी0(उपाधि) करने वाले शोधार्थियों के लिए शुल्क निम्न अनुसार हैः-

1. सभी शोधार्थियों का प्रवेश (पंजीकरण) शुल्क 500 /- रूपये में किया जायेगा ।
2. सभी कला छात्राओं के लिए 100/-रूपये प्रतिमाह होगा । तीन वर्ष का शुल्क जमा कराना होगा।
3. सभी शोधार्थियों को पंजीकरण के समय पुस्तकालय प्रतिभूति 1000 /-रूपये अनिवार्य रूप में जमा करनी होगी ।

Uniform

नये सत्र 2024-25 से महाविद्यालय में प्रवेश लेने वाली छात्राओं का वेश-भूषा इस प्रकार रहेगी।

बी0ए0, बी0 कॉम0 छात्राएं	सफेद कुर्ता, सफेद सलवार व दुपट्टा मैरून	कुर्ता	सलवार	दुपट्टा
एम0ए0 छात्राएं	सफेद कुर्ता, सफेद सलवार व दुपट्टा सफेद	कुर्ता	सलवार	दुपट्टा

नोटः- सभी छात्राओं के लिए मैरून जैकेट(कोट) या स्वेटर।

महाविद्यालय में देय शुल्क की संरचना

सत्र 2024–25 का बी. ए. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

क्र0 सं0	विषय- जिनके अनुसार शुल्क निर्धारित है	बी0ए0 प्रथम वर्ष	बी0ए0 द्वितीय वर्ष	बी0ए0 तृतीय वर्ष
1.	जिनके पास कोई प्रयोगात्माक विषय नहीं है।	1391.00	1191.00	1191.00
2.	जिनके पास एक प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान या संगीत है	1631.00	1431.00	1431.00
3.	जिनके पास दो प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान व संगीत है	1871.00	1671.00	1671.00
4.	जिनके पास एक प्रयोगात्मक विषय कला है	2831.00	2631.00	2631.00
5.	जिनके पास दो प्रयोगात्मक विषय कला तथा संगीत या गृहविज्ञान विषय है	3071.00	2871.00	2871.00
6.	जिनके पास तीन प्रयोगात्मक विषय गृहविज्ञान, संगीत तथा कला है	3311.00	3111.00	3111.00

सत्र 2024–25 का बी.कॉम. प्रथम, द्वितीय व तृतीय वर्ष का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

क्र0 सं0	विषय- जिनके अनुसार शुल्क निर्धारित है	बी0कॉम0 प्रथम वर्ष	बी0कॉम0 द्वितीय वर्ष	बी0कॉम0 तृतीय वर्ष
1.	कॉमर्स	10391.00	10191.00	10191.00

नोट :- स्किल डेवलेपमेंट की फीस विश्वविद्यालय आदेशानुसार 250/- रूपये प्रति सेमेस्टर अतिरिक्त देय होगी।

1. विश्वविद्यालय/शासन/कॉलिज द्वारा उपरोक्त शुल्क में नियमानुसार परिवर्तन किया जा सकता है जो सभी छात्रओं को मान्य होगा।
2. शिक्षाशास्त्र विषय प्रयोगात्मक विषय नहीं माना जायेगा।
3. विश्वविद्यालय/शासन/कॉलिज द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का सभी को पालन करना होगा।

सत्र 2024–25 का एम.ए. कक्षाओं का प्रवेश के समय शुल्क जमा करने का विवरण

विषय	प्रथम सेमेस्टर एवं द्वितीय सेमेस्टर	तृतीय सेमेस्टर एवं चर्तुथ सेमेस्टर
अंग्रेजी	1287.00	1087.00
संस्कृत	1287.00	1087.00
शिक्षा शासत्र (स्ववित्तपोषित)	9287.00	9087.00
अर्थ शास्त्र (स्ववित्तपोषित)	3787.00	3587.00

शिक्षणेत्तर कर्मचारी

कार्यालय-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	श्री कैलाश चन्द्र गौड़	कार्यालय अधीक्षक
2.	श्री ओंकार सिंह	स्टेनो
3.	सहायक लेखाकार	रिक्त
4.	अमित चौधरी	नैत्यिक लिपिक
5.	नैत्यिक लिपिक	रिक्त
6.	नैत्यिक लिपिक	रिक्त
7.	श्रीमती सीमा त्यागी	गृहविज्ञान लैब सहायिका
8.	तबला संगीतकार	रिक्त

पुस्तकालय-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	पुस्तकालय अध्यक्ष	रिक्त
2.	पुस्तकालय लिपिक	रिक्त
3.	बुकलिफ्टर	रिक्त
4.	बुकलिफ्टर	रिक्त

चतुर्थ श्रेणी-कर्मचारी वर्ग

क्र0 सं0	कर्मचारी नाम	पद
1.	श्री डालचन्द	दफ्तरी
2.	माली	रिक्त
3.	श्री जतिन कुमार कटारिया	चपरासी
4.	श्री चन्द्र प्रकाश	चपरासी
5.	श्री विशाल	सफाईकर्मी
6.	महरी	रिक्त
7.	महरी	रिक्त
8.	लैब परिचायिका (गृह विज्ञान)	रिक्त
9.	चौकीदार	रिक्त

सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राओं को प्रदान किये जाने वाले स्वर्ण-पदक का विवरण

क्र0 सं0	पुरस्कार का नाम	प्रदाता का नाम	कक्षा
1.	श्री चरण सिंह वर्मा स्मृति-पदक	प्रो0 साधना तोमर	एम0 ए0, अंतिम वर्ष (समस्त विषय के अन्तर्गत सर्वाधिक अंक प्राप्तकर्ता)
2.	श्रीमती प्रकाशवती शर्मा स्मृति-पदक	प्रो0 अरुणा शर्मा	अंग्रेजी (एम0ए0, अंतिम वर्ष)
3.	श्री हरप्रसाद गुप्ता स्मृति-पदक	प्रो0 संगीता अग्रवाल	संस्कृत (एम0ए0, अंतिम वर्ष)
4.	श्रीमती कृष्णा ओमप्रकाश कौशिक स्मृति-पदक	प्रो0 आभा शुक्ला कौशिक	अंग्रेजी (एम0ए0, प्रथम वर्ष)
5.	श्रीमती गायत्री कृष्ण कुमार शुक्ल स्मृति-पदक	प्रो0 आभा शुक्ला कौशिक	अंग्रेजी (बी0ए0, अंतिम वर्ष)
6.	श्री हेमन्त शर्मा स्मृति-पदक	प्रो0 अमिता शर्मा	बी0ए0 (अंतिम वर्ष)
7.	डा0 महारानी शर्मा स्मृति-पदक	प्रो0 जया शर्मा	संगीत स्नातक (अंतिम वर्ष)
8.	डॉ0 राजकुमारी गुप्ता स्मृति-पदक	श्री हर्ष कंसल, श्री संजय गुप्ता	राजनीति विज्ञान (स्नातक, अंतिम वर्ष)
9.	सुश्री राजकुमारी अरोड़ा स्मृति-पदक	श्री अमित चौधरी	संस्कृत, बी0ए0 (अंतिम वर्ष)
10.	चौ0 सैन्सर पाल सिंह स्मृति-पदक	श्री अमित चौधरी	सर्वोत्तम खिलाड़ी
11.	श्रीमती प्रकाश देवी स्मृति पदक	श्री नरेन्द्र कुमार आर्य (अध्यक्ष)	हिन्दी विषय में सर्वाधिक
12.	श्रीमती मिथलेश गर्ग स्मृति पदक	श्री नरेन्द्र कुमार आर्य (अध्यक्ष)	शिक्षाशास्त्र (एम0ए0)
13.	श्री प्रकाश गुप्ता स्मृति पदक	श्री अनिल कुमार गुप्ता (सचिव)	इतिहास स्नातक स्तर पर
14.	श्रीमती सरस्वती देवी स्मृति पदक	श्री अनिल कुमार गुप्ता (सचिव)	वाणिज्य विभाग स्तर पर
15.	श्रीमती शान्ति देवी स्मृति पदक	डॉ0 रुचि त्यागी	अर्थशास्त्र (एम0 ए0 अन्तिम वर्ष)

महाविद्यालय-प्रबन्ध-समिति एवं आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ का विवरण

प्रबन्ध-समिति आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़

1. श्री नरेन्द्र कुमार आर्य	प्रधान
2. श्री पीयूष बंसल	उप-प्रधान
3. श्री अनिल कुमार गुप्ता	सेक्रेटरी
4. श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल	संयुक्त सेक्रेटरी
5. श्री आनन्द प्रकाश आर्य	सदस्य (जनरल सेक्रेटरी)
6. श्री शशांक आर्य	सदस्य (प्रबन्धक इण्टर कालेज)
7. श्री मंगल सेन गुप्ता	सदस्य
8. डॉ0 विकास अग्रवाल	सदस्य
9. श्रीमती बीना आर्य	सदस्या
10. श्रीमती प्रतिभा भूषण	सदस्या
11. श्री वैभव भूषण गुप्ता	सदस्य
12. डॉ0 विजेन्द्र कुमार गर्ग	सदस्य
13. श्री पदम चन्द गर्ग	सदस्य
14. प्रो0 साधना तोमर	प्राचार्या
15. प्रो0 आभा शुक्ला कौशिक	प्राध्यापक प्रतिनिधि
16. प्रो0 वसुधा श्री	प्राध्यापक प्रतिनिधि
17. प्रो0 करुणा गुप्ता	प्राध्यापक प्रतिनिधि

आर्य कन्या शिक्षा समिति, हापुड़ (उ0प्र0)

1. श्री नरेन्द्र कुमार आर्य	प्रधान
2. श्री पीयूष बसंल	उप-प्रधान
3. श्री आनन्द प्रकाश आर्य	जनरल सेक्रेटरी
4. श्री अंकित गर्ग	संयुक्त जनरल सेक्रेटरी
5. श्री अनिल कुमार गुप्ता	सचिव
6. श्री रविन्द्र कुमार अग्रवाल	संयुक्त सचिव
7. श्री शशांक आर्य	प्रबन्धक
8. श्री अरुण कुमार अग्रवाल	उप-प्रबन्धक
9. श्री प्रणव आर्य	कोषाध्यक्ष
10. श्रीमती माया आर्य	आर्य समाज प्रतिनिधि
11. श्रीमती अलका सिंघल	आर्य समाज प्रतिनिधि
12. श्रीमती बीना आर्य	आर्य समाज प्रतिनिधि
13. श्रीमती रेखा गोयल	आर्य समाज प्रतिनिधि
14. डॉ0 विकास अग्रवाल	आर्य समाज प्रतिनिधि
15. श्री मंगल सेन गुप्ता	आर्य समाज प्रतिनिधि
16. श्री सुरेश सिंघल	आर्य समाज प्रतिनिधि
17. श्री सुरेश चन्द सम्पादक	दी.म.व्या.मण्ड. के प्रतिनिधि
18. श्री चक्रवर्ती गर्ग	प्रतिष्ठित सदस्य
19. श्री दीन दयाल गुप्ता	प्रतिष्ठित सदस्य
20. श्री सतीश कुमार मित्तल	प्रतिष्ठित सदस्य
21. श्री राघवेन्द्र गर्ग	प्रतिष्ठित सदस्य
22. श्री वैभव भूषण गुप्ता	वरिष्ठ सदस्य
23. श्री हिमांशु गोयल	वरिष्ठ सदस्य
24. श्री राजेन्द्र कुमार अग्रवाल	वरिष्ठ सदस्य
25. श्रीमती प्रतिभा भूषण	वरिष्ठ सदस्या
26. श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	वरिष्ठ संरक्षक
27. श्री अखिलेश गर्ग	वरिष्ठ संरक्षक
28. श्री अमित अग्रवाल	वरिष्ठ संरक्षक
29. श्रीमती सुनीता रानी गुप्ता	संस्थापक सदस्या
30. श्री त्रिलोक चन्द	दानदाता सदस्य
31. श्री दिनेश कुमार	दानदाता सदस्य
32. श्री प्रमोद कुमार गर्ग	आजीवन सदस्य
33. श्री पदम चन्द सर्राफ	आजीवन सदस्य
34. श्री विजेन्द्र कुमार गर्ग	आजीवन सदस्य
35. श्रीमती बीना रानी आर्य	हितैषी सदस्या

समाचार–पत्रों के माध्यम से महाविद्यालय की उपलब्धियां

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में 'अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस' के रूप में मनाई गई गांधी जयंती'

हापुड़ न्यूज़ संवाददाता

हापुड़। आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हापुड़ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती प्रशासन द्वारा निर्गत आदेश अनुसार «अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस» के रूप में मनाई गई। प्रेम, अहिंसा एवं सद्भावना का मार्ग प्रशस्त करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वैश्विक स्तर पर कालजयी पुरुष के रूप में स्थापित हो चुके हैं। «जय जवान जय किसान» का नारा देने वाले प्रधानमंत्री शास्त्री का भारतवर्ष के आर्थिक विकास में अमूल्य योगदान रहा है। साहित्यिक सांस्कृतिक परिषद की अध्यक्षा प्रो.जया शर्मा के नेतृत्व में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। वाग्देवी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर छात्राओं ने मां का वंदन किया। कार्यक्रम के अंतर्गत छात्राओं ने महात्मा गांधी एवं लाल बहादुर शास्त्री का जीवन परिचय, जीवन दर्शन, तथा उनके कार्यों की विस्तार पूर्वक अपने व्याख्यान के अंतर्गत चर्चा की। काजल शर्मा, पारुल, सिमर ने वक्ता के रूप में भागीदारी की। संगीत विभाग की छात्राओं ने «रघुपति राघव राजा राम» तथा «दे दी मुझे आजादी» गीत की प्रस्तुति दी, जिसमें मुस्कान, अनामिका मीनाक्षी, अनु शर्मा, हिमांशी, मुस्कान, मानसी आदि छात्राओं ने भागलिया। हिंदी विभाग की प्रो. करुणा गुप्ता, इतिहास विभाग की प्रो. मनीला रोहतगी, शिक्षाशास्त्र विभाग की प्रो. अपर्णा त्रिपाठी, क्रीड़ा विभाग की अध्यक्षा प्रो. सरोजिनी आदि शिक्षिकाओं ने गांधी एवं शास्त्री जी द्वारा प्रतिपादित जीवन मूल्यों की समीक्षा की तथा भारत ही नहीं अपितु विश्व में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया। «राष्ट्रीय सेवा योजना» के प्रथम यूनिट की अधिकारी डॉ. सर्वेश के नेतृत्व में छात्राओं ने एक घंटे का श्रमदान कर महाविद्यालय की साफ-सफाई की। श्रुति, दीप्ति, पारुल, अर्शी, किरण, काजल, के नेतृत्व में सफाई कार्य संपादित किया गया।

सफाई अभियान में महाविद्यालय की प्रवक्ताओं ने भी हिस्सा लिया। प्रो. मनीला रोहतगी ने कार्यक्रम का संचालन किया।

महाविद्यालय की प्राचार्या ने अपने संबोधन भाषण में शास्त्री तथा गांधी जी द्वारा प्रतिपादित अहिंसा, प्रेम, करुणा, सर्व धर्म समभाव एवं श्रमदान आदि विषयों पर अपने विचार रखे तथा जीवन में उन्हें अमल करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की प्राध्यापिकाएं, कर्मचारीगण तथा छात्राएं उपस्थित रहीं।

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में सावन-लोकगीत तथा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन

हापुड न्यूज़ संवाददाता जगदीश माकन

हापुड(लोकेश बंसल) । आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय हापुड़ में भारतीय सांस्कृतिक परम्परा के अन्तर्गत मनाए जाने वाले त्यौहारों के क्रम में श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाने वाली हरियाली तीज के उपलक्ष्य में साहित्यिक सांस्कृतिक समिति एवं एक्टिविटी क्लब प्रकोष्ठ द्वारा प्रो0 जया शर्मा के नेतृत्व में सावन-लोकगीत तथा मेहंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारम्भ महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो0 साधना तोमर द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम में संगीत विभाग की छात्राओं उमा शर्मा वर्षा, अनामिका, रूचि, कोमल, खुशी ने प्रतिभाग किया तथा आमंत्रित कलाकार के रूप में महाविद्यालय की पूर्व छात्राओं मुस्कान तथा रियांशी को भी आमंत्रित किया गया। छात्राओं के गीतों ने सभी का मन मोह लिया।

कार्यक्रम का संचालन संगीत विभाग की छात्रा कु0 उमा शर्मा द्वारा किया गया। उक्त कार्यक्रम में निर्णायक मण्डल की भूमिका में विनिता पारस एव कु0 सोनिया रानी रहीं। मेहंदी प्रतियोगिता में प्रथम स्थान कु0 अंजली, द्वितीय स्थान कु0 शालू और अभिलाषा तथा तृतीय स्थान कु0 सना ने तथा विशेष स्थान कु0 कुलसूम ने प्राप्त किया। कार्यक्रम में महाविद्यालय की सभी शिक्षिकाएं एवं छात्राए उपस्थित रहीं।

महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो0 साधना तोमर ने सभी शिक्षिकाओं और छात्राओं को हरियाली तीज की महत्ता बताते हुए सभी को तीज की शुभकामनाएं दी।

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय मे अतिथि व्याख्यान का आयोजन

हापुड़ न्यूज संवाददाता

हापुड़ । आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में संस्कृत विभाग की अध्यक्षा प्रो. संगीता अग्रवाल द्वारा अतिथि व्याख्यान का आयोजन किया गया। विद्यार्थियों के विचारों में नवोन्मेष तथा अध्ययन की एकरसता को दूर करने हेतु महाविद्यालयों में इस प्रकार के व्याख्यानों का आयोजन किया जाता है। मां शारदे को नमन कर कार्यक्रम का आरंभ किया गया।

सेवानिवृत्ति पूर्व प्राचार्या(इस्माइल नेशनल पी.जी. कॉलेज, मेरठ) «साहित्यामृतम्» जर्नल की संपादक एवं अध्ययन मंडल की संयोजिका (कन्वीनर बी.ओ.एस.) डॉ. साधना सहाय ने «संस्कृत वांग्मय में मर्यादा पुरुषोत्तम राम» विषय पर अपने व्याख्यान के अंतर्गत यह स्पष्ट किया की राम कथा एवं संस्कृत साहित्य का घनिष्ठ संबंध है तथा वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण राम कथा का मूल स्रोत है । देववाणी में वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन- चरित्र की उन्होंने सविस्तार चर्चा की तथा आधुनिक युग में उनकी प्रासंगिकता को रेखांकित किया।

विभागाध्यक्षा प्रोफेसर संगीता अग्रवाल ने «राम कथा» चर्चा में भाग लेते हुए यह सुनिश्चित किया कि रामायण के अनन्तर यदि राम कथा साहित्य की पूर्ण सामग्री का आकलन किया जाए तो संस्कृत साहित्य की प्रत्येक विधा में कथावस्तु की गंगोत्री राम का आदर्श चरित्र ही है।महाविद्यालय की छात्रा कुमारी श्रुति ने राम मंदिर पर आधारित देववाणी में गीत गाकर वातावरण को राममय कर दिया।

संस्कृत विभाग की डॉ. मीनू ने कार्यक्रम का कुशलतापूर्वक संचालन किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. साधना तोमर ने अपने संबोधन भाषण में राम मंदिर, संप्रति संपादित प्राण प्रतिष्ठा की चर्चा की तथा राम के जीवन चरित्र को आत्मसात करने के लिए सभी को प्रेरित किया। प्रो. वसुधा श्री ने कार्यक्रम की समाप्ति पर अतिथि, प्राचार्या ,उपस्थित सभी प्राध्यापिकाओं एवं छात्राओं का धन्यवाद ज्ञापन किया।

मिशन शक्ति अभियान के तहत छात्राओं को किया जागरूक

वेलकम इंडिया राजेंद्र सिंह

हापुड़। शहर के स्वर्ग आश्रम रोड स्थित आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में मिशन शक्ति फेस 5 के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन छात्राओं को सशक्त एवं स्वावलंबी बनने की प्रेरणा प्रदान करने के लिया किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. मीनाक्षी भराला(सदस्य, राज्य महिला आयोग, उत्तर प्रदेश) डॉ. ललिता सरोहा (एसोसिएट प्रोफेसर,राजकीय महाविद्यालय बी.बी. नगर, बुलंदशहर) डॉ. पूजा राय (असिस्टेंट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बी.बी.नगर, बुलंदशहर) स्तुति (सी.ओ.हापुड़) अरुणा राव(एस.एच.ओ. महिला थाना हापुड़) स्मिता(जिला प्रोविजन अधिकारी)तथा महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर साधना तोमर द्वारा मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित एवं पुष्प अर्पित कर किया गया।

छात्राओं ने स्त्री सशक्तिकरण पर आधारित एक लघु नाटिका भारत की महान वीरांगनाएं प्रस्तुत की तथा संगीत विभाग की छात्राओं ने समूह गान प्रस्तुत किया। छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया। अपने संबोधन भाषण में छात्राओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की उन्होंने प्रशंसा की तथा नारी शक्ति को और सशक्त करने की प्रेरणा प्रदान की।कार्यक्रम की संचालित का डॉ. सर्वेश ने अत्यंत कुशलता पूर्वक कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम की समाप्ति पर महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर साधना तोमर ने प्रशासन द्वारा क्रियान्वित मिशन शक्ति कार्यक्रम की उपयोगिता को चिन्हित किया तथा छात्राओं को सशक्त होने के लिए प्रेरित किया। सभी अतिथियों को उन्होंने प्रतीक चिह्न भेंट किया। कार्यक्रम में प्रोफेसर अरुणा शर्मा ,प्रोफेसर संगीता अग्रवाल, प्रोफेसर जया शर्मा, प्रोफेसर आभा शुक्ला कौशिक, प्रोफेसर प्रोफेसर व सुधा श्री ,प्रोफेसर करुणा गुप्ता, प्रोफेसर अमिता शर्मा, प्रोफेसर अपर्णा त्रिपाठी, डॉ. अलका, डॉ. मीनू कश्यप, डा. नीशू यादव, डॉ. प्रियंका सोनकर आदि प्राध्यापिकाएं उपस्थित रहीं।

ऐतिहासिक स्थल किले का आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की अध्यापकों व छात्रों ने किया भ्रमण

मीडिया फॉर यू, हापुड़(सलमान खान)

हापुड़ के आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय की इतिहास विभाग की अध्यक्षा प्रो. मनीला रोहतगी के नेतृत्व में एक" हापुड़ मैं ऐतिहासिक स्थलों के शैक्षिक भ्रमण" का आयोजन किया गया और वस्तुतः पुरातात्विक धरोहरों से परिचित कराना तथा भ्रमण हेतु निर्धारित स्थान के ऐतिहासिक मूल्य को निर्धारित करना ही शैक्षिक भ्रमण का उद्देश्य होता है। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. साधना तोमर ने छात्राओं को संबोधित कर भ्रमण पर जाने तथा जानकारी जुटाना के लिए शुभकामनाएं दीं इतिहास विभाग की स्नातक प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की छात्राओं को असौड़ा स्थित किला दिखाया गया। यह किला लगभग 400 वर्ष पुराना है। पांच मंजिले किले में झरोखा सुरंग तथा दीवारों पर चित्रकला देखने को मिली। इस भ्रमण में तीस छात्राओं ने हिस्सा लिया। प्रो. करुणा गुप्ता तथा सुषमा सैनी ने भी भ्रमण में भागीदारी की। इतिहास विभाग के अध्यक्षा प्रो. मनीला रोहतगी ने छात्राओं को किले की संपूर्ण जानकारी दी तथा उसके स्थापत्य से परिचित कराया।

amarujala.com/hapur | नई दिल्ली | बुधवार • 18.12.2024

अमर उजाला 4

पोस्टर प्रतियोगिता में साक्षी व खुशी प्रथम

एकेपी पीजी कॉलेज की छात्राओं ने अहिल्याबाई होल्कर के पोस्टर बनाए

संवाद न्यूज एजेंसी

हापुड़। स्वर्ग आश्रम रोड स्थित एकेपी पीजी कॉलेज में मिशन शक्ति फेस-5 के तत्वावधान में समिति की अध्यक्षा प्रो. मनीला रोहतगी के निर्देशन में स्त्री शक्ति की प्रतीक माता अहिल्याबाई होल्कर पर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया।

मातृशक्ति पर आधारित इस प्रतियोगिता में कुल 10 छात्राओं ने भागीदारी की। छात्राओं ने पोस्टर के माध्यम से माता अहिल्याबाई होल्कर का चित्र एवं जीवन परिचय प्रस्तुत किया। निर्णायक मंडल की सदस्या प्रो. जया शर्मा एवं प्रो. आभा शुक्ला ने अपना निर्णय देते हुए साक्षी तथा खुशी को प्रथम, निकिता को द्वितीय, शिखा एवं अभिलाषा को तृतीय विजेता घोषित किया।

एकेपी कॉलेज में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में भाग लेतीं छात्राएं। संवाद

महाविद्यालय की कार्यवाहक प्राचार्या प्रो. संगीता अग्रवाल ने छात्राओं को माता अहिल्याबाई होल्कर के जीवन से प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित किया तथा विजयी छात्राओं को बधाई दी। कार्यक्रम में प्रो.अरुणा शर्मा, प्रो. वसुधा श्री, प्रो. अमिता शर्मा, डॉ. अलका सिंह, डॉ. नीशू यादव का सहयोग रहा।

तनाव मुक्त रहने के लिए संगोष्ठी आयोजित

संगोष्ठी में तनाव मुक्त रहने के टिप्स जानतीं स्कूली छात्राएं •

जागरण संवाददाता, हापुड़: छात्रा उन्नयन एवं कल्याण समिति, छात्रा शिकायत निवारण प्रकोष्ठ एवं मिशन शक्ति फेस-5 के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को दूर करने तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने हेतु संगोष्ठी हुई। उपभोक्तावादी संस्कृति, पर्यावरण क्षरण तथा विभिन्न सामाजिक दबावों के कारण शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य निरंतर विघटित हो रहा है। इससे आत्महत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। मुख्य वक्ता प्रो . आभा शुक्ला कौशिक ने सर्वप्रथम छात्राओं की समस्याओं को जानने का प्रयास किया। उन्होंने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पौष्टिक आहार, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण तथा व्यायाम करने की सलाह दी। आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रेरित किया। प्रो . अरुणा शर्मा ने छात्राओं को सदैव प्रसन्न रहने तथा अपने लक्ष्य की प्रति एकाग्र होकर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो . साधना तोमर ने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग व ध्यान करने के लिए प्रेरित किया।

छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिताओं को दूर करने तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन

ार्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़ में शासन द्वारा निर्गत आदेश के अनुपालन में, सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान लब तथा आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के अंतर्गत छात्रा उन्नयन एवं कल्याण समिति, छात्रा शिकायत निवारण कोष्ठ एवं मिशन शक्ति फेस- 5 के संयुक्त तत्वावधान में छात्राओं के मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिताओं को दूर करने तथा ात्महत्या की प्रवृत्ति को रोकने हेतु एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। उपभोक्तावादी संस्कृति, पर्यावरण क्षरण तथा वेभिन्न सामाजिक दबावों के कारण शिक्षण संस्थानों में छात्राओं का मानसिक स्वास्थ्य निरंतर विघटित हो रहा है तथा ात्महत्या की समस्या भी बढ़ रही है। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर मनीला रोहतगी ने मानसिक स्वास्थ्य पर अपने वेचार रखते हुए मुख्य वक्ता के रूप में प्रो.आभा शुक्ला,कौशिक ने छात्राओं को संबोधित करते हुए सर्वप्रथम उनकी मस्याओं को जानने का प्रयास किया। तत्पश्चात उन्होंने छात्राओं को मानसिक स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए पौष्टिक ाहार, समय प्रबंधन, लक्ष्य निर्धारण तथा व्यायाम करने की सलाह दी तथा आत्मनिर्भर होने के लिए भी प्रेरित किया। वेशिष्ट वक्ता के रूप में महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो.साधना तोमर ने अपने संबोधन भाषण में छात्राओं को मानसिक वास्थ्य के लिए योग एवं ध्यान करने के लिए प्रेरित किया तथा छात्राओं के साथ उनकी समस्याओं पर विचार विमर्श किया समस्याओं का समाधान भी किया। छात्राओं को ताज़ा एवं संतुलित आहार ग्रहण करने की सलाह दी। प्रोफेसर अरुणा र्मा, प्रोफेसर संगीता अग्रवाल, प्रोफेसर पूनम भारद्वाज, प्रोफेसर जया शर्मा, प्रोफेसर वसुधाश्री, प्रोफेसर करुणा गुप्ता, ोफेसर अमिता शर्मा, प्रोफेसर सरोजिनी, डॉ. रुचि, डॉक्टर मीनू कश्यप, डॉक्टर अलका सिंह, डॉ. सर्वेश, डॉक्टर ्रियंका सोनकर, श्रीमती विनीता पारस, सुश्री साधना आदि प्राध्यापिकाएं तथा छात्राएं संगोष्ठी में उपस्थित रहीं। संगोष्ठी ी समाप्ति पर प्रोफेसर मनीला रोहतगी ने सभी का हृदय से आभार व्यक्त किया।

भाषण स्पर्धा में छात्राओं ने दिखाई प्रतिभा

हापुड़, संवाददाता। एकेपी पीजी कॉलेज हापुड़ में इतिहास विभाग की अध्यक्षा प्रो. मनीला रोहतगी के नेतृत्व में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, पर भाषण प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। भाषण प्रतियोगिता में इतिहास विभाग की कुल आठ छात्राओं ने भागीदारी की। निर्णायक मंडल की सदस्या प्रो.करुणा गुप्ता एवं डॉ. नीशू यादव ने कु. शिफा को प्रथम, पूजा तेवतिया ने द्वितीय एवं कु.राधिका को तृतीय विजेता घोषित किया। कार्यवाहक प्राचार्या प्रो.आभा शुक्ला कौशिक ने छात्राओं को अहिल्याबाई होल्कर की पद चिह्नों पर चलने के लिए प्रेरित किया। संगीत विभाग की अध्यक्षा प्रो. जया शर्मा, प्रो.अमिता शर्मा, डॉ. धनेश्वरी, सोनिया और प्रो. मनीला रोहतगी का सहयोग रहा।

सोमवार को हापुड़ एकेपी पीजी कॉलेज में आयोजित भाषण प्रतियोगिता की विजेता छात्राएं।

पैर में चोट, ड

सिर के लिखे

हापुड़। गांव शाहपुर ज

मरीज सोकेंद्र ने सीए

चिकित्सक पर सिर में च

बाद भी सिर का एक्स

आरोप लगाया है। मरीज

लगी हुई है। मरीज सोकें

वह सोमवार को गढ़

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र

के लिए पहुंचे थे। उनके

है। पैर में चोट लगी

सीएचसी हापुड़ के चिकि

का एक्स रे लिखे गए हैं।

महेश कुमार ने बताया

जानकारी की जा रही है

सुनील त्यागी का कहन

गंभीर है। इस तरह की

होनी चाहिए। मामले की

पूर्वी और इकरा की टीम ने जीती प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के दौरान उपस्थित शिक्षिकाएं व छात्राएं • सौ. आयोजक

जागरण संवाददाता, हापुड़: एकेपी पीजी कॉलेज में डॉ . भीमराव आंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में साहित्यिक-सांस्कृतिक समिति, सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान कल्चरल क्लब, एक्टिविटी क्लब, राजनीति विज्ञान विभाग और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ट के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के 11वें दिन संविधान में किए गए नवीन संशोधनों पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर अमिता शर्मा ने प्रतियोगिता की शुरुआत से पहले बाबा साहेब को श्रद्धांजलि अर्पित की। संचालिका प्रोफेसर मनीला रोहतगी ने छात्राओं को पर्चियों के माध्यम से चार टीमों में विभाजित किया। इसके बाद टीमों से क्रमवार प्रश्न पूछे गए। सही उत्तर न मिलने पर उपस्थित छात्राओं से उत्तर पूछे गए। निर्णायक मंडल की सदस्य प्रोफेसर अरुणा शर्मा और प्रोफेसर संगीता अग्रवाल ने टीम डी की पूर्वी और इकरा को प्रथम घोषित किया। टीम ए की रामशा और अरीशा को द्वितीय तथा टीम बी की राधिका और जोहा को तृतीय स्थान मिला। खुशी शर्मा ने दर्शक दीर्घा से उत्तर देकर विशिष्ट स्थान प्राप्त किया। प्राचार्य प्रोफेसर साधना तोमर ने विजेताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अवसर पर कई प्रोफेसर उपस्थित रहे।

भाषण प्रतियोगिता में पूजा, प्रश्नोत्तरी में दीपांशी और तनु ने मारी बाजी

संवाद न्यूज एजेंसी

हापुड़। एकेपी पीजी कॉलेज में इतिहास विभाग के तत्वावधान में मंगलवार को शहीद मंगल पांडे बलिदान दिवस का आयोजन हुआ। इस दौरान आयोजित भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी में छात्राओं ने प्रतिभा का प्रदर्शन किया।

इतिहास विभागाध्यक्ष प्रो. मनीला रोहतगी ने कहा कि देश के वीर सपूत मंगल पांडे 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के वो सिपाही थे, जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज उठाई और देश के लिए शहादत दी।

भाषण प्रतियोगिता में चार टीमों ने हिस्सा लिया। निर्णायक मंडल की सदस्य प्रो. अरुणा शर्मा तथा प्रो. संगीता अग्रवाल ने पूजा तेवतिया को प्रथम, राधिका को द्वितीय, मोनिका को तृतीय विजेता घोषित किया। प्रश्नोत्तरी में टीम बी दीपांशी एवं तनु प्रथम, टीम डी पूजा एवं निधि द्वितीय तथा टीम ए भूमिका एवं चांदनी तृतीय स्थान पर रहीं।

एकेपी कॉलेज में आयोजित प्रतियोगिता में बोलती छात्रा। स्रोत : संस्थान

प्राचार्या प्रो. साधना तोमर ने ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया, जिनका नाम आज ऐतिहासिक दस्तावेजों में नहीं है। विजेताओं को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। आयोजन में आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ की अध्यक्षा प्रो. आभा शुक्ला, कल्चरल क्लब की प्रभारी प्रो. सरोजिनी, प्रो. करुणा गुप्ता, डॉ. मीनू कश्यप, डॉ. रश्मि, दीपांशी आदि का सहयोग रहा।

छात्राओं के जीवन में महत्त्वपूर्ण हैं खेल

प्रतियोगिता में विजेता छात्राएं और उनके साथ अध्यापिकाएं •

जासं, हापुड़ : आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में एक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें छात्राओं को खेल गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित्त किया गया। इस कार्यक्रम में जोर दिया गया कि खेलों को दिनचर्या में शामिल करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। साहित्यिक-सांस्कृतिक समिति, सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान कल्चरल क्लब, एक्टिविटी क्लब और आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में वाद-विवाद प्रतियोगिता और पुरस्कार वितरण समारोह का विषय "महिला सशक्तिकरण" था। कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर मनीला रोहतगी ने कहा कि खेलों के बिना स्वास्थ्य की कल्पना नहीं की जा सकती। निर्णायक मंडल की सदस्या प्रोफेसर अरुणा शर्मा और प्रोफेसर अपर्णा त्रिपाठी ने कुमारी राधिका को प्रथम, कुमारी हुमैरा को द्वितीय और कुमारी दीपशिखा को तृतीय विजेता घोषित किया। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रोफेसर साधना तोमर और प्रबंध समिति के अध्यक्ष नरेंद्र कुमार आर्य ने विजयी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। सभी विजेताओं को प्रतीक चिन्हं और प्रमाण

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़

मिशन शक्ति
नारी सुरक्षा
नारी सम्मान
नारी स्वावलंबन

आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, हापुड़
भारत रत्न
श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी
23 दिसम्बर 2024

साहित्यिक एवं सांस्कृतिक परिषद
आर्य कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय
(चौ. चरण सिंह विश्वविद्यालय से सम्बद्ध)
आपका हार्दिक स्वागत करती है।

Gunjan Thakur Galaxy A32
2 April 2025 12:21

BE DIFFERENT
BE BETTER
BE AHEAD

Established -1959

ARYA KANYA P.G. COLLEGE
SWARAG ASHRAM ROAD HAPUR-245 101
Phone : 01222300069
E-mail :- akpcollegehapur@gmail.com
www.akpcollege.org